



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276615
CG-DL-E-29092026-276615

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 258]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

मामला सं.- एडी (एए) – 02/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इनस्योलूबल सल्फर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समामेलन रोधी समीक्षा जॉच

फा. सं. 7/03/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' अथवा सीटीए कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. ओसीसीएल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'इनसाल्यूबल सल्फर' (जिसे आगे "संबद्ध

वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

3. संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच अधिसूचना सं. 6/01/2024-डीजीटीआर, दिनांक 27 मार्च 2024 के अंतर्गत शुरू की गई थी। जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 7 मार्च 2025 के अपने अंतिम जाँच परिणाम फा. सं. 06/01/2024-डीजीटीआर के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 6 जून 2025 की अधिसूचना सं. 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा सिफारिश किए गए शुल्कों को प्रभावी रूप से लागू किया। वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (अम डा./मी टन)
1	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई भी देश	कोई	307
2	चीन जन गण और जापान से इतर कोई भी देश	चीन जन गण	कोई	307
3	जापान	जापान	शिकोकू कैमिकल्स कार्पोरेशन	259
4	जापान	जापान सहित कोई देश	क्र सं. 3 से इतर कोई उत्पादक	358
5	जापान और चीन जन गण से इतर कोई देश	जापान	कोई	358

4. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1ख) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार, जहां पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में ऐसे मूल्य पर या ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जाता है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन माना जाता है, और जिसके कारण ऐसा शुल्क निष्प्रभावी हो जाता है अथवा निष्प्रभावी हो सकता है, वहां प्राधिकारी समीक्षा करने के उपरांत, पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का पुनः निर्धारण करने के बाद, पाटनरोधी शुल्क के रूप या आधार में और/या पाटनरोधी शुल्क की मात्रा अथवा दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी को इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के कारण वह निष्प्रभावी हो गया है अथवा निष्प्रभावी हो सकता है।
5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले निर्यातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों से संतुष्ट होने के उपरांत, प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1ख) और एडी नियमावली के नियम 30 के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा या रूप में संशोधन की सिफारिश करने के लिए दिनांक 20 मार्च 2026 की अधिसूचना सं. 7/03/2026-डीजीटीआर के माध्यम से

पाटनरोधी शुल्क की समामेलन-रोधी समीक्षा जांच शुरू की। यह जांच केवल चीन जनवादी गणराज्य से पीयूसी के निर्यातों के संबंध में ही शुरू की गई थी।

ख. प्रक्रिया

6. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च 2026 की अधिसूचना सं. 7/03/2026-डीजीटीआर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की, जिसके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में समामेलन-रोधी समीक्षा जांच शुरू की गई।
- ख. एडी नियमावली के नियम 30(4) के अनुसार, समामेलन-रोधी जांच शुरू करने से पूर्व भारत स्थित चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस संबंध में अधिसूचित किया गया था।
- ग. एडी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्राधिकारी द्वारा भारत स्थित चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की गई। जांच शुरूआत की सूचना, निर्धारित प्रश्नावली के साथ, हितबद्ध पक्षकारों को 25 मार्च 2026 को जारी की गई, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 37 दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी।
- घ. एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित दूतावास के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और लिखित अनुरोध करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई।
- ङ. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समामेलन-रोधी जांच शुरू करने वाली सार्वजनिक सूचना की प्रति अग्रेषित की और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने तथा अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके उत्तर में, संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- च. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी:
 - i. सीएट लिमिटेड
 - ii. एमआरएफ लिमिटेड
 - iii. ओरिएंटल रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. मरकेम लिमिटेड
 - v. पुखराज इंजी. एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - vii. अपोलो टायर्स लिमिटेड
 - viii. फोरेच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. एमआरएल टायर्स लिमिटेड
 - x. स्पीडवेज रबर कंपनी
 - xi. वेलमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- xii. महांसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xv. जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xvi. जनरल रबर्स
- xvii. स्पेक्ट्रा केमिकल्स
- xviii. कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xix. लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xx. योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxi. राल्सन टायर्स लिमिटेड
- xxii. मिडास रबर प्राइवेट लिमिटेड

- छ. हितबद्ध पक्षकारों को आर्थिक हित प्रश्नावली भी जारी की गई थी।
- ज. संबद्ध वस्तु के एक आयातक/प्रयोक्ता एमआरएफ लिमिटेड ("एमआरएफ") और एक प्रयोक्ता संघ ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ("एटीएमए") की ओर से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार के अनुरोध किए गए थे, जिन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया। तदुपरांत एमआरएफ ने अपनी प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। एटीएमए द्वारा कोई प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- झ. समामेलन अवधि और मूल जांच की जांच अवधि के लिए सौदा-वार आयात आकड़े डीजी सिस्टम्स से प्राप्त किये गये थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और मूल्य की गणना करने तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों के साथ तुलना व मिलान के लिए डीजी सिस्टम्स आकड़े पर भरोसा किया है।
- ञ. जाँच शुरुआत अधिसूचना में, प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 30(5) के अनुसार, इस समीक्षा के पूरा होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम निर्धारण की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने दिनांक 3 जुलाई 2026 की अधिसूचना सं. 13/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा आदेश दिया है कि वर्तमान समीक्षा के परिणाम आने तक, दिनांक 6 जून 2025 की अधिसूचना सं. 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क आकर्षित करने वाले चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों को केंद्र सरकार द्वारा एडी नियमावली के नियम 31(3) के अंतर्गत निर्णय लिए जाने तक अनंतिम निर्धारण के अधीन रखा जाएगा, जो कि सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा अलग-अलग पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन होगा।
- ट. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों/प्रत्युत्तरों/टिप्पणियों के अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) को सेतु पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अन्य सभी हितबद्ध पक्षकार उनका अवलोकन कर सकें।
- ठ. एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई 29 जुलाई 2026 के नोटिस के माध्यम से अधिसूचित की गई थी और 4 अगस्त 2026 को हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के

लिखित अनुरोध 10 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत करें, और इसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, 17 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत करें। मौखिक सुनवाई के उपरांत लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध आवेदक तथा एटीएमए/एमआरएफ द्वारा प्रस्तुत की गई।

- ड. जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्क और उपलब्ध कराई गई जानकारी, जहां तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं, उन पर प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जाँच परिणाम में यथोचित विचार किया गया है।
- ढ. प्राधिकारी ने जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उन आकड़े/दस्तावेजों का संगत और आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया, जो इस अंतिम जाँच परिणाम का आधार बने हैं।
- ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक समझा गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी का एक पर्याप्त अगोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
- त. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी तक पहुंच से इनकार किया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अंतिम जाँच परिणाम निर्धारित किया है।
- थ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई), अर्थात् समामेलन अवधि, 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 (छह महीने) तक है। प्राधिकारी ने समामेलन अवधि की कीमतों की तुलना मूल जांच की जांच अवधि, अर्थात् 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की कीमतों से की है।
- द. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 14 सितंबर 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जाँच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। ऐसा कोई भी अनुरोध जो केवल पूर्व अनुरोध की पुनरावृत्ति मात्र था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, उसे संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए दोहराया नहीं गया है।
- ध. इस अंतिम जाँच परिणाम में ‘***’ चिह्न हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा एडी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत इसे गोपनीय माना गया है।
- न. इस जांच के लिए अथॉरिटी ने जो एक्सचेंज रेट अपनाया है, वह 1 US\$ = Rs. 88.65 है। यह रेट POI के दौरान इंपोर्ट किए गए सामान की वैल्यू बदलने के लिए कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 14 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा बताए गए एक्सचेंज रेट्स का औसत है। इस डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में यही रेट इस्तेमाल किया गया है।

(source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view>).

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अभिवेदन

7. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि उन्होंने मूल पाटनरोधी जांच के दौरान विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कुछ विशिष्ट ग्रेडों को बाहर करने की मांग करते हुए विस्तृत अनुरोध प्रस्तुत किए थे। यद्यपि प्राधिकारी ने मूल जांच में उन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया था, तथापि अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अभी भी यह मानना है कि घरेलू उद्योग इनसाल्यूबल सल्फर के कुछ उत्कृष्ट ग्रेडों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, और उन्होंने अपने पूर्व अनुरोधों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

8. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:
- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि वर्तमान समामेलन-रोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही बना हुआ है जो मूल पाटनरोधी जांच में परिभाषित किया गया था।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. चूंकि वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलन-रोधी समीक्षा है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही बना हुआ है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था। इनसाल्यूबल सल्फर, परिभाषा के अनुसार, एक पालीमर सल्फर है जो कार्बन डाइसल्फाइड (सीएस₂) में अधुलनशील होता है। इनसाल्यूबल सल्फर का उपयोग आम तौर पर कुछ रबर अनुप्रयोगों में बल्कनीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि ब्लूमिंग परिघटना को रोका जा सके, जो रबर कंपाउंड के लिए हानिकारक होती है।
10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2802 00 10 और 3812 39 30 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। विचाराधीन उत्पाद का आयात टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत भी किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।
11. जैसा कि मूल जांच में निर्धारित किया गया था, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, और दोनों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जाता है।
12. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कुछ ग्रेडों को बाहर करने के संबंध में पुनर्विचार की मांग करने वाले अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एडी नियमावली के नियम 30 के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका दायरा यह जांच करने तक ही सीमित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उसका कोई समामेलन हुआ है। तदनुसार, यह जांच केवल शुल्क समामेलन की मौजूदगी और सीमा, यदि कोई हो, के आकलन तक ही सीमित है, और नियम 30 के दायरे से बाहर के मामलों तक विस्तारित नहीं होती है। अतः, प्राधिकारी मूल जांच में निर्धारित पीयूसी के समान दायरे को बनाए रखने के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

घ. समीक्षा का दायरा और आवेदक की स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. वर्तमान समीक्षा के दायरे अथवा आवेदक की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

14. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में 100% का योगदान रखता है। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि उसने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है। यह भी अनुरोध किया गया कि आवेदन मूल जांच में निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया था और इसलिए यह एडी नियमावली के नियम 29(3) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. वर्तमान समामेलन-रोधी समीक्षा केवल चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में है।
16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है, जो कुल भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा रखता है, और आवेदक एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है तथा एडी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा आवेदक की स्थिति पर विवाद करते हुए कोई अनुरोध नहीं किया गया है, और वर्तमान समीक्षा में रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह स्थिति परिवर्तित हो। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन एडी नियमावली के नियम 29 के अनुसार वैध रूप से प्रस्तुत किया गया है।

ड. समामेलन-रोधी समीक्षा का दायरा – क्या क्षति और कारणात्मक संबंध का नए सिरे से निर्धारण आवश्यक है

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

17. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1ख) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क में संशोधन केवल तभी अनुमति योग्य है जब समामेलन ने मौजूदा शुल्क को निष्प्रभावी बना दिया हो, और इस प्रकार के निर्धारण के लिए आवश्यक रूप से क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच अपेक्षित है।
- ख. यह अनुरोध किया गया कि प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार (एडीए) के अनुच्छेद 18.1 के अंतर्गत, एडीए द्वारा व्याख्या किए गए गैट 1994 के प्रावधानों के अनुसार ही पाटन के विरुद्ध विशिष्ट कार्रवाई की जा सकती है, और ऐसी कोई भी कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब पाटन के घटक तत्व, जिनमें क्षति और कारणात्मक संबंध शामिल हैं, उपस्थित हों। एडीए के अनुच्छेद 18.4 पर भी भरोसा किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य को अपने कानूनों, विनियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की एडीए के प्रावधानों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह अनुरोध किया गया कि एडीए में समामेलन-रोधी समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है और घरेलू कानून में प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रावधान डब्ल्यूटीओ ढांचे के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
- ग. यह अनुरोध किया गया कि सीटीए की धारा 9क(1ख) की अस्पष्टता की व्याख्या में क्षति और कारणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए, और किसी भी अन्य व्याख्या का तात्पर्य यह होगा कि धारा 9क(1ख) सीधे तौर पर एडीए की आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, बैंगलोर बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट्स एवं अन्य* के निर्णय के अनुपात के अनुसार अनुमति योग्य नहीं है। आगे यह भी अनुरोध किया गया कि यह एक स्वीकृत संवैधानिक सिद्धांत है कि अधीनस्थ विधान उस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता जिसने इसे बनाया है, और सीटीए की धारा 9क(1ख) के अंतर्गत बनाए गए नियम उस प्रावधान में अंतर्निहित आवश्यकताओं के उल्लंघन में नहीं हो सकते हैं।

- घ. यह अनुरोध किया गया कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि शुल्क लगाने की प्रत्येक सिफारिश पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के स्थापित अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए, और मौजूदा शुल्क के संशोधन और संवर्धन को भी इसी तरह इन कारकों के व्यापक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया गया कि एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत समीक्षाएं भी इस आवश्यकता की परिकल्पना करती हैं, और प्राधिकारी ने उक्त प्रावधान के अंतर्गत आयोजित निर्णायक समीक्षाओं में क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन किया है।
- ङ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग द्वारा "परवर्ती और सुसंगत सरकारी प्रक्रिया" पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि भारत के अलावा केवल तीन देशों, अर्थात् यूरोपीय संघ, तुर्की और यूके में समामेलन-रोधी प्रावधानों का अस्तित्व संधि की व्याख्या के पारंपरिक नियमों के अंतर्गत आवश्यक परवर्ती सरकारी प्रक्रिया स्थापित करने की सीमा को पूरा नहीं कर सकता है।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया कि प्राधिकारी अन्य क्षेत्राधिकारों में जांच प्राधिकारियों की प्रथाओं या पूर्व दृष्टांतों से बाध्य नहीं हैं, और प्राधिकारी ने कई जांचों में विदेशी प्राधिकारियों के दृष्टिकोण का पालन करने से इनकार किया है। इसलिए, यूरोपीय संघ द्वारा समामेलन-रोधी समीक्षाओं का संचालन अपने आप में वर्तमान जांच में प्राधिकारी के दृष्टिकोण को बाध्य या नियंत्रित नहीं कर सकता है।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

18. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि समामेलन-रोधी समीक्षा तंत्र पूरी तरह से डब्ल्यूटीओ ढांचे के अनुरूप है और एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त समीक्षा शक्तियों से वैधता प्राप्त करता है, और एडीए में समामेलन-रोधी के स्पष्ट संदर्भ की अनुपस्थिति का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसी समीक्षाएं अस्वीकार्य हैं।
- ख. यह अनुरोध किया गया कि समामेलन-रोधी कोई अलग व्यापार उपचार उपाय नहीं है, बल्कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के निष्कर्ष के बाद पहले से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रभावशीलता को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया एक समीक्षा तंत्र है। आगे यह अनुरोध किया गया कि यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ के समक्ष स्पष्ट रूप से मान्यता दी है कि समामेलन-रोधी कार्यवाही एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत समीक्षा का एक रूप है जिसका उद्देश्य उन मामलों में निर्यात कीमतों का पुनर्मूल्यांकन करना है जहां पाटनरोधी उपाय की प्रभावशीलता क्षीण हुई है।
- ग. यह अनुरोध किया गया कि किसी भी समीक्षा कार्यवाही का दायरा उस विशिष्ट मुद्दे से निर्धारित होता है जिसके समाधान के लिए समीक्षा का उद्देश्य है, और विभिन्न समीक्षा तंत्र अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तथा परिणामस्वरूप मूल जांच में आकलित सभी तत्वों की पुनः जांच की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि एक निर्णायक समीक्षा पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करती है, एक न्यू शिपर समीक्षा निर्यातक-विशिष्ट पाटन मार्जिन के निर्धारण तक ही सीमित होती है, और एक उत्पाद-दायरा मध्यावधि समीक्षा उपाय के उपयुक्त कवरेज की जांच करने तक सीमित होती है। इस तर्क के समर्थन में, आवेदक ने निर्णायक समीक्षाओं, मध्यावधि समीक्षाओं और न्यू शिपर समीक्षाओं से संबंधित विभिन्न निर्णयों और पूर्व जांचों पर भरोसा किया।
- घ. यह अनुरोध किया गया कि एक समामेलन-रोधी समीक्षा में जांच शुल्क पश्चात मूल्य निर्धारण व्यवहार की जांच करने तथा यह निर्धारित करने के लिए संगत निर्यात कीमत और मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने तक ही सीमित है कि क्या शुल्क का उपचारात्मक प्रभाव कम अथवा समामेलित हुआ है, और क्षति तथा कारणात्मक संबंध का नए सिरे से निर्धारण करने से यह समीक्षा अनुचित रूप से एक नए सिरे की जांच में परिवर्तित हो जाएगी।
- ङ. यह अनुरोध किया गया कि एडी नियमावली का नियम 29(3), जिसके अंतर्गत यह अपेक्षित है कि समामेलन-रोधी आवेदन सामान्यतः निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने के दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सामान्यतः उस स्थिति में नहीं जब समाप्ति से पूर्व बारह महीने से कम समय शेष हो, इस बात की पुष्टि करता है कि समामेलन-

रोधी समीक्षाएं मूल जांच के निकटवर्ती शुल्क-पश्चात घटनाक्रमों के समाधान के लिए बनाई गई हैं, न कि मूल जांच के क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्षों को पुनः खोलने के लिए।

- च. आवेदक ने यह अनुरोध करने के लिए यूरोपीय संघ, यूके, तुर्की और भारत के विधायी ढांचे और प्रथाओं पर भरोसा किया कि समामेलन-रोधी समीक्षाएं सामान्यतः क्षति या कारणात्मक संबंध के नए सिरे से निर्धारण की आवश्यकता के बिना, समामेलन की जांच करने तथा निर्यात मूल्यों और मार्जिनों का पुनर्मूल्यांकन करने तक ही सीमित होती हैं। इस संबंध में, आवेदक ने पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थैलेट (पीईटी) रेजिन और अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पूर्व में संचालित समामेलन-रोधी समीक्षा जांचों के साथ-साथ यूरोपीय आयोग की समामेलन-रोधी प्रथाओं पर भी भरोसा किया।
- छ. यह अनुरोध किया गया कि सीटीए की धारा 9क(1ख) और एडी नियमावली को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि नियमावली मूल विधायी प्रावधान को लागू करने के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक और परिचालन ढांचा प्रदान करती है, और धारा 9क(1ख) में विस्तृत आवश्यकताओं की अनुपस्थिति इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अनदेखी को उचित नहीं ठहरा सकती। इसलिए, नियम 30(6) के विपरीत समामेलन-रोधी समीक्षा में नए सिरे से क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण को समाहित करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली का नियम 30(6) स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि समामेलन-रोधी समीक्षा का दायरा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनः निर्धारण तक ही सीमित है। यह नियम मूल जांच के दौरान अपनाई जाने वाली पद्धति के समान क्षति और कारणात्मक संबंध की नए सिरे से जांच की परिकल्पना नहीं करता है। समीक्षा के दायरे को इन पहलुओं तक सीमित करने में नियम 30(6) में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट, विशिष्ट और असंदिग्ध है।
20. अतः, प्राधिकारी इस तर्क में कोई आधार नहीं पाते हैं कि समामेलन-रोधी समीक्षा के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के नए सिरे से आकलन की आवश्यकता है मानो यह एक नई मूल जांच हो। इस प्रकार की व्याख्या नियम 30 की स्पष्ट योजना और उद्देश्य के विपरीत होगी, जिसे पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने के बाद शुल्क समामेलन के मुद्दे के समाधान के लिए तैयार किया गया है।
21. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि समामेलन-रोधी ढांचा एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत परिकल्पित समीक्षा कार्यवाही की अवधारणा में निहित है, जो पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उनकी निरंतर आवश्यकता और प्रभावशीलता की समीक्षा करने की जांच प्राधिकारियों की शक्ति को मान्यता देता है। यह समझ उन क्षेत्राधिकारों के विधायी और प्रशासनिक व्यवहार में परिलक्षित होती है जहां समामेलन-रोधी प्रावधान लागू हैं। विशेष रूप से, यूरोपीय संघ समामेलन-रोधी कार्यवाही को मौजूदा पाटनरोधी उपाय की समीक्षा के रूप में यह निर्धारित करने के प्रयोजन से मानता है कि क्या शुल्क का समामेलन हुआ है और जिसके परिणामस्वरूप वह निष्प्रभावी हो गया है।
22. प्राधिकारी ने इस अनुरोध की भी जांच की है कि एडीए के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत संचालित समीक्षाओं, जैसे कि निर्णायक समीक्षा और मध्यावधि समीक्षा, में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शामिल होती है, और इसलिए समामेलन-रोधी समीक्षाओं में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते हैं। एडीए के अंतर्गत विभिन्न समीक्षा तंत्र अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और परिणामस्वरूप उनके दायरे भिन्न होते हैं, तथा प्रत्येक समीक्षा एक अलग उद्देश्य के साथ एक विशिष्ट कार्यवाही होती है। निर्णायक समीक्षा के संदर्भ में भी, जांच मूल जांच में की गई जांच के समान नहीं होती है। इसी प्रकार, मध्यावधि समीक्षाओं में प्राधिकारी का अपना व्यवहार यह रहा है कि जहां समीक्षा किसी विशिष्ट मुद्दे तक सीमित होती है, जैसे कि उत्पाद के दायरे में संशोधन, वहां मूल जांच में निर्धारित सभी तत्वों की नए सिरे से जांच अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं होती है।

23. पूर्वोक्त विवरण इस सिद्धांत को दर्शाता है कि किसी समीक्षा कार्यवाही का दायरा उस मुद्दे से निर्धारित होता है जिसके समाधान के लिए समीक्षा का उद्देश्य है। इस तर्क का कि प्रत्येक समीक्षा कार्यवाही में अनिवार्य रूप से पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का नए सिरे से निर्धारण शामिल होना चाहिए, न तो डब्ल्यूटीओ ढांचे द्वारा और न ही प्राधिकारी के सतत व्यवहार द्वारा समर्थन किया जाता है।
24. यही सिद्धांत समान रूप से समामेलन-रोधी समीक्षा पर भी लागू होता है। इस प्रकार की समीक्षा का उद्देश्य यह पुनर्मूल्यांकन करना नहीं है कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाना जारी रखते हैं, और न ही उन मूल जाँच परिणामों की फिर से जांच करना है जो पाटनरोधी शुल्क लगाने का आधार बने थे। जांच के अंतर्गत विशिष्ट मुद्दा यह है कि क्या निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात मूल्यों में कमी की है या अन्यथा अपने मूल्य निर्धारण व्यवहार में इस प्रकार बदलाव किया है जिसने शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को समामेलित अथवा कमजोर कर दिया है। परिणामस्वरूप, यह जांच शुल्क-पश्चात कीमत निर्धारण व्यवहार की जांच करने तथा मौजूदा उपाय की प्रभावशीलता को बहाल करने के लिए आवश्यक संगत मार्जिनों की पुनर्गणना करने तक ही सीमित है।
25. प्राधिकारी ने आगे इस अनुरोध पर विचार किया है कि अधीनस्थ विधान की व्याख्या मूल अधिनियम के असंगत तरीके से नहीं की जा सकती है और एडी नियमावली के नियम 29 से 31 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1ख) को निष्प्रभावी नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1ख) पाटनरोधी शुल्कों के समामेलन के समाधान के लिए मूल शक्ति का सृजन करती है और प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से विस्तृत प्रक्रिया और तंत्र के निर्धारण की परिकल्पना करती है। तदनुसार, समामेलन-रोधी समीक्षा का दायरा, प्रक्रिया और सीमा एडी नियमावली के नियम 29 से 31 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या के अनुसार अनिवार्य रूप से समामेलन-रोधी ढांचे के प्रत्येक प्रक्रियात्मक और परिचालन पहलू को मूल कानून में ही स्पष्ट रूप से शामिल करना अपेक्षित होगा, जो प्रत्यायोजित विधान के मूल उद्देश्य के ही विपरीत है। अतः, प्राधिकारी यह पाते हैं कि नियम 30(6) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1ख) की योजना और उद्देश्य को प्रभावी बनाता है तथा उसके अनुरूप संचालित होता है।
26. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समामेलन-रोधी समीक्षा में क्षति और कारणात्मक संबंध के नए सिरे से निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

च. मौखिक सुनवाई से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

27. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि हाइब्रिड मौखिक सुनवाई व्यापार उपचार जांचों में एक नितांत आवश्यकता है और यह केवल प्रक्रियात्मक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों में निष्पक्ष और सार्थक सुनवाई का एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में, अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा हाइब्रिड मोड में सुनवाई आयोजित करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के कतिपय निर्णयों पर भरोसा किया गया।
- ख. यह अनुरोध किया गया कि मौखिक सुनवाई को शुरू में वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और बाद में चार घंटे से भी कम समय के नोटिस पर इसे हाइब्रिड सुनवाई में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे कार्यवाहियों में प्रभावी रूप से भाग लेने की पक्षकारों की क्षमता प्रभावित हुई, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एमआरएफ चेन्नई में स्थित है। प्राधिकारी से पर्याप्त नोटिस के साथ हाइब्रिड मोड में मौखिक सुनवाई को फिर से आयोजित करने का अनुरोध किया गया।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

28. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि मौखिक सुनवाई की सूचना अग्रिम रूप से विधिवत रूप से दी गई थी, आवेदक सहित सभी पक्षकारों ने वास्तव में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया और वास्तविक भागीदारी का विकल्प प्रदान करने वाले संचार द्वारा किसी भी पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यह अनुरोध किया गया कि यह आपत्ति तथ्यात्मक और विधिक रूप से सारहीन है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 4 अगस्त 2026 को निर्धारित मौखिक सुनवाई की तारीख और समय के बारे में सभी हितबद्ध पक्षकारों को काफी पहले ही विधिवत रूप से सूचित कर दिया गया था। सुनवाई को शुरू में वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके स्थान की परवाह किए बिना कार्यवाही में भाग लेने का पूर्ण और प्रभावी अवसर प्राप्त हो। हाइब्रिड मोड की उपलब्धता के संबंध में बाद के पत्र ने निर्धारित सुनवाई में कोई परिवर्तन नहीं किया और न ही पक्षकारों को पहले से दिए गए अवसर को कम किया; बल्कि, इसने उन लोगों के लिए केवल एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया जो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होना चाहते थे। अतः, प्राधिकारी इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि हाइब्रिड मोड में सुनवाई के बाद के पत्र ने किसी भी तरह से मौखिक सुनवाई में भाग लेने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पहले से उपलब्ध अवसर को कमजोर या बाधित किया।
30. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि हाइब्रिड मोड के बाद के संचार से अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भौतिक रूप से सुनवाई में भाग नहीं लिया, और आवेदक सहित सभी भाग लेने वाले पक्षकार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। इस प्रकार, सभी पक्षकारों ने एक ही माध्यम से भाग लिया और किसी भी पक्षकार को किसी अन्य पक्षकार की तुलना में कोई प्रक्रियात्मक या वास्तविक लाभ प्रदान नहीं किया गया।
31. अतः, प्राधिकारी पाते हैं कि बाद में हाइब्रिड मोड लागू करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का दावा व्यवहार में सुनवाई आयोजित करने के तरीके से पुष्ट नहीं होता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी भागीदारी, अथवा सुनवाई से लगभग चार घंटे पूर्व हाइब्रिड प्रारूप की उपलब्धता से संबंधित संचार ने उनके मामले को प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता को बाधित किया या अन्यथा कोई प्रतिकूल प्रभाव डाला। वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव या सुने जाने के प्रभावी अवसर से वंचित किए जाने के किसी भी साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी मौखिक सुनवाई को फिर से आयोजित करने के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते हैं।

छ. पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

32. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:
- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात कीमतों में गिरावट का घरेलू उद्योग का दावा हितबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। यह अनुरोध किया गया कि एमआरएफ द्वारा अपनी प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि पीयूसी के निर्यात मूल्यों में लगभग 25% की वृद्धि हुई है, जो पीयूसी पर मूल रूप से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा (307 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन) के अनुसार आवश्यक वृद्धि के अनुरूप है। यह अनुरोध किया गया कि यह स्थिति समामेलन के दावे को अस्वीकार करती है और दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान किया गया है।
- ख. यह अनुरोध किया गया कि घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए आकड़े और हितबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध आकड़ों के बीच ठोस विसंगतियां हैं, और एडी नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी को निर्यात कीमतों में गिरावट के अपने दावे के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग किए गए आयात आकड़े का खुलासा करने का निर्देश देना चाहिए, ताकि सत्यापन और प्रत्युत्तर दिया जा सके।

- ग. यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि को चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के कच्चे माल के स्रोत अलग-अलग हैं। यह अनुरोध किया गया कि घरेलू उद्योग अपने सल्फर फीडस्टॉक का स्रोत मुख्य रूप से खाड़ी देशों से प्राप्त करता है, जबकि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के पास जापान और कनाडा सहित अधिक विविध स्रोत आधार है, जिससे वे विभिन्न आपूर्ति और कीमत निर्धारण स्थितियों के संपर्क में आते हैं।
- घ. आगे यह अनुरोध किया गया कि बड़े पैमाने पर और एकीकृत परिचालन करने वाले चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के परिचालन के पैमाने और बड़े पैमाने की किफायतों में अंतर भी उनकी कच्चे माल की लागत को प्रभावित करता है, और भारत में घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बारे में यह नहीं माना जा सकता है कि संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भी समान रूप से ऐसा ही अनुभव किया गया होगा।
- ङ. यह भी अनुरोध किया गया कि मुद्राओं के उतार-चढ़ाव ने संबंधित लागतों को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिसमें भारतीय रुपये के लगभग 9.9% के अनुमानित मूल्यहास ने आयातित निविष्टियों की घरेलू-मुद्रा लागत में वृद्धि की, जबकि समामेलन अवधि के दौरान लगभग 3-4% के अनुमानित चीन के युआन के मूल्यवृद्धि ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को कम या स्थिर लागत पर निविष्टियों की खरीद करने में सक्षम बनाया।
- च. यह अनुरोध किया गया कि वर्तमान समीक्षा के रिकॉर्ड में संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लागत निर्धारण और कीमत निर्धारण की गतिशीलता पर कोई सत्यापन योग्य आकड़े शामिल नहीं हैं, और घरेलू उद्योग के दावे पूरी तरह से उसके अपने आकड़े पर आधारित हैं।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि कच्चे माल और सुविधाओं की लागतों में हुई वृद्धि की भरपाई करने में उसकी कथित अक्षमता संबद्ध आयातों के कारण है। यह अनुरोध किया गया कि बिक्री मूल्य उत्पादन दक्षता, मूल्यहास, व्याज लागत, पूंजीगत व्यय, मांग की स्थिति और समग्र आर्थिक वातावरण सहित कई कारकों से प्रभावित होते हैं, और यह क्षति तथा कारणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

33. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि आवेदन में प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि शुल्क लगाए जाने के बाद भारत के लिए चीन के निर्यातकों की सीआईएफ कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि कच्चे माल और उपयोगिता लागतों में वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि चीन के निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क को समामेलित कर लिया है, जिससे इसका उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हुआ है। आवेदक ने आगे अनुरोध किया कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग कच्चे माल और सुविधाओं की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में असमर्थ रहा, तथा समामेलन अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मूल जांच में निर्धारित मार्जिन की तुलना में काफी अधिक हैं।
- ख. आवेदक ने अनुरोध किया कि न तो वर्तमान समीक्षा में और न ही मूल जांच में चीन जनवादी गणराज्य के किसी निर्यातक या उत्पादक ने भाग लिया, और परिणामस्वरूप, निर्यातक के कीमत निर्धारण और लागत के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है और वे पूरी तरह अनुमान पर आधारित हैं।
- ग. आवेदक ने अनुरोध किया कि अन्य हितबद्ध पक्षकार पीओआई के दौरान औसत आयात मूल्य में किसी भी वृद्धि को प्रमाणित करने में विफल रहे हैं। इसके विपरीत, आवेदक की बाजार आसूचना के अनुसार, समामेलन अवधि के दौरान एमआरएफ के आयात मूल्यों में लगभग 30% की गिरावट आई। आवेदक ने आगे अनुरोध किया कि आवेदक के आयात आकड़े के प्रकटन का अनुरोध कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, क्योंकि सीमा शुल्क से संबंधित ऐसी जानकारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135कक के अंतर्गत संरक्षित है, और वैसे भी यह जांच डीजी सिस्टम्स के

सौदा-वार आयात आकड़े के आधार पर शुरू की गई थी और प्राधिकारी उसी पर भरोसा करते हैं, न कि आवेदक की बाजार आसूचना पर।

- घ. आवेदक ने अनुरोध किया कि यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है कि उसकी सल्फर खरीद खाड़ी देशों से जुड़ी है, क्योंकि आवेदक ने संगत अवधि के दौरान अपनी सल्फर आवश्यकताओं का 100% घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा था। आगे यह अनुरोध किया गया कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अपने साक्ष्य उनके इस दावे का खंडन करते हैं कि विविध स्रोतों के माध्यम से चीन के उत्पादक खाड़ी-क्षेत्र के सल्फर मूल्यों से सुरक्षित हैं, क्योंकि चीन काफी सीमा तक मध्य पूर्वी आपूर्ति पर निर्भर रहा, जहां जुलाई-दिसंबर 2025 के दौरान उसके सल्फर आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी लगभग 53% थी, जबकि कनाडा और जापान से आयात क्रमशः केवल 12% और 6% था।
- ड. आवेदक ने अनुरोध किया कि सल्फर का आयात आकड़े और आईसीआईएस द्वारा प्रकाशित मूल्य प्रदर्शित करते हैं कि समामेलन अवधि के दौरान भारत और चीन दोनों में सल्फर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, और तदनुसार चीन के उत्पादक सल्फर की कीमतों में समान वैश्विक वृद्धि के संपर्क में आए थे।
- च. आवेदक ने अनुरोध किया कि पैमाने की किफायतों पर निर्भरता असंगत है, क्योंकि ऐसी क्षमताएं मूल जांच के दौरान भी मौजूद थीं, और इसके बावजूद चीन के कीमतें पाटित स्तर पर थीं; इसलिए, यदि कोई पैमाने की किफायतें थी भी, तो वह निर्यात कीमतों में बाद में आई गिरावट की व्याख्या नहीं करती हैं।
- छ. आवेदक ने अनुरोध किया कि चीन के युआन की मूल्यवृद्धि पर निर्भरता तथ्यात्मक रूप से गलत है और उत्पादक-विशिष्ट साक्ष्यों द्वारा असमर्थित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत विनिमय दर आकड़े के अनुसार, मूल जांच अवधि के दौरान यूएसडी/सीएनवाई विनिमय दर 7.07 युआन/यूएस डॉलर से बदलकर समामेलन अवधि के दौरान 7.125 युआन/यूएस डॉलर हो गई, जो मूल्यवृद्धि के बजाय लगभग 0.78% के मूल्यहास को दर्शाती है, जबकि समामेलन अवधि के दौरान चीन में वास्तविक सल्फर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक या उत्पादक ने वर्तमान समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। निर्यातकों की भागीदारी और रिकॉर्ड पर निर्यातक-विशिष्ट जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी ने समामेलन अवधि के दौरान निर्यात कीमत के रुझानों की जांच करने के लिए डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़े पर विचार किया है। डीजी सिस्टम्स आकड़े की अपनी जांच के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में समामेलन अवधि के दौरान काफी कम हो गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में परिलक्षित होता है:

विवरण	यूओएम	मूल अवधि	समामेलन अवधि	परिवर्तन
निर्यात कीमत (कारखाना-द्वार)	रू./मी टन	92,373	76,369	(16,004)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	
विनिमय दर	रू./डा.	83.52	88.65	
निर्यात कीमत (कारखाना-द्वार)	डा./मी.टन	1,106	861	(245)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	

स्रोत: मूल जांच अवधि के लिए, मूल जांच में दिनांक 7 मार्च 2025 के अंतिम जाँच परिणामों में यथा-निर्धारित; समामेलन अवधि के लिए, डीजी सिस्टम्स का सौदा-वार आयात आकड़े, जिसे कारखाना-स्तर तक विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से निर्यात कीमत में भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर दोनों संदर्भों में गिरावट आई है।
36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि एमआरएफ की आयात कीमतों में वास्तव में लगभग 25% की वृद्धि हुई है, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात आकड़े के आधार पर एमआरएफ द्वारा किए गए आयातों की जांच की है और नोट करते हैं कि मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में समामेलन अवधि में एमआरएफ की आयात कीमतों में गिरावट आई है। अतः, इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दावा रिकॉर्ड में मौजूद आयात आकड़ों से पुष्ट नहीं होता है।
37. प्राधिकारी ने आगे इस अनुरोध की जांच की है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के अनुरूप निर्यात कीमतों में वृद्धि का न होना समामेलन की मौजूदगी को नकारता है। प्राधिकारी इस तर्क में कोई औचित्य नहीं पाते हैं। वर्तमान मामले में, अकेले कच्चे माल की लागत में *** अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि होने के बावजूद, समामेलन अवधि के दौरान कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत में 245 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई। उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ कीमतों में आई इस गिरावट को मिलाकर देखने पर यह 307 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के पाटनरोधी शुल्क की मात्रा से अधिक हो जाती है और पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को निष्प्रभावी करने का प्रभाव रखती है। इसलिए, निर्यात कीमतों में देखी गई यह गिरावट वर्तमान समीक्षा में समामेलन की जांच का समर्थन करने वाला एक संगत कारक है।
38. आवेदक ने अनुरोध किया है कि कच्चे माल और सुविधाओं की लागतों में वृद्धि हुई है जबकि आयात कीमत में गिरावट आई है। प्राधिकारी ने आकड़ों की जांच की है। नीचे दी गई तालिका मूल अवधि और समामेलन अवधि के बीच कच्चे माल और सुविधाओं की लागत में आए परिवर्तन को दर्शाती है:

विवरण	यूओएम	मूल अवधि	समामेलन अवधि	परिवर्तन
कच्ची सामग्री	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	
सुविधा	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	
कुल इनपुट लागत	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	
विनिमय दर	रू./डा.	83.52	88.65	
उक्त का कुल	डा./मी.टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	

39. यह देखा गया है कि समामेलन अवधि में कच्चे माल की लागत में भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर दोनों संदर्भों में वृद्धि हुई है। अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समामेलन अवधि के दौरान उत्पादन लागत में कोई कमी नहीं आई और इसके विपरीत, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एक सामान्य बाजार परिवेश में उत्पादन लागत में वृद्धि सामान्यतः उच्चतर बिक्री और निर्यात कीमतों में परिलक्षित होती है। तथापि, वर्तमान मामले में उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद निर्यात कीमतों में गिरावट आई। उत्पादन लागत के रुझान और निर्यात कीमत निर्धारण व्यवहार के बीच यह विसंगति दर्शाती है कि निर्यात कीमतों में कमी का कारण अंतर्निहित लागत कारक नहीं हो सकते हैं, और यह कि निर्यातकों ने अपनी निर्यात कीमतों को कम करके पाटनरोधी शुल्क को समाहित कर लिया।
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निर्माण के लिए सल्फर प्रमुख कच्चा माल है। आवेदक ने ट्रेड मैप आकड़े के अनुसार चीन में सल्फर आयात के संबंध में जानकारी प्रदान की है। उक्त जानकारी के आधार पर, मूल जांच अवधि की तुलना में समामेलन अवधि के दौरान सल्फर की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि उक्त अवधि के दौरान चीन से पहुंच कीमत में गिरावट आई है:

अवधि	यूनिट	पहुंच कीमत	सल्फर की वैश्विक कीमत	कच्ची सामग्री की लागत
जनवरी 23 से दिस.'23	अम.डा./एमटी	1,281	127	***
जुलाई'25 से दिस.'25	अम.डा./एमटी	1,064	308	***
परिवर्तन	अम.डा./एमटी	(217)	181	***
परिवर्तन	%	(17%)	142%	24%

स्रोत: ट्रेड मैप आकड़े के अनुसार चीन में आयात के अनुसार सल्फर का वैश्विक मूल्य; घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार कच्चे माल की लागत।

- क. मूल जांच अवधि की तुलना में समामेलन अवधि के दौरान चीन से पहुंच कीमत में 17% अथवा 217 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है।
41. संबद्ध देश के निर्यातकों की उत्पादन लागत के संबंध में साक्ष्यों के कथित अभाव तथा निर्यात कीमतों में आई गिरावट को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत विभिन्न स्पष्टीकरणों से जुड़े अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक या उत्पादक ने न तो वर्तमान समामेलन-रोधी समीक्षा में और न ही मूल पाटनरोधी जांच में भाग लिया है। संबंधित निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, लागत संरचनाओं, स्रोतों के रुझान, उत्पादन अर्थशास्त्र और कीमत निर्धारण व्यवहार से संबंधित निर्यातक-विशिष्ट जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी को उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर आगे बढ़ना अपेक्षित है और वे ऐसी किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकते जो निर्यातकों को गैर-भागीदारी के माध्यम से संगत जानकारी रोककर समामेलन-रोधी समीक्षा के उद्देश्य को विफल करने की अनुमति दे।
42. सल्फर की कीमतों तथा घरेलू उद्योग एवं चीन के स्रोत-निर्धारण रुझानों से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सल्फर विश्व स्तर पर व्यापार की जाने वाली एक वस्तु है और रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी संगत अवधि के दौरान सल्फर की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि का संकेत देती है। यह तर्क कि घरेलू उद्योग की लागतें खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों से विशिष्ट रूप से प्रभावित थीं, रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से पुष्ट नहीं होता है, जो दर्शाते हैं कि आवेदक ने संगत अवधि के दौरान अपनी सल्फर आवश्यकताओं का 100% घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया था। इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री उनके इस दावे को प्रमाणित नहीं करती है कि संबद्ध देश के

उत्पादक विविध स्रोतों के माध्यम से सल्फर की बढ़ती कीमतों से सुरक्षित थे। इसके विपरीत, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य, जिसमें स्वयं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए स्रोत भी शामिल हैं, संबद्ध देश में सल्फर आयात के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए मध्य पूर्वी स्रोतों पर निरंतर निर्भरता का संकेत देते हैं, और दर्शाते हैं कि समामेलन अवधि के दौरान संबद्ध देश में सल्फर की कीमतों में काफी वृद्धि हुई।

43. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई सल्फर कीमत निर्धारण जानकारी की भी जांच की है। यह जानकारी प्रदर्शित करती है कि समामेलन अवधि के दौरान भारत और संबद्ध देश दोनों में सल्फर की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और यह दर्शाती है कि संबद्ध देश में प्रचलित सल्फर की कीमतें मोटे तौर पर भारत में प्रचलित कीमतों के तुलनीय थीं और संगत अवधि के दौरान उनमें भी समान रूप से वृद्धि का रुझान देखा गया। अतः, रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि संबद्ध देश के उत्पादक कच्चे माल की बढ़ती लागत से सुरक्षित थे अथवा स्थिर या घटती सल्फर कीमतों से लाभान्वित हुए थे।
44. प्राधिकारी ने पैमाने की किफायतें, एकीकृत परिचालन, उत्पादन दक्षताओं और मुद्रा के उतार-चढ़ाव से संबंधित अनुरोधों पर भी विचार किया है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रदर्शित करता हो कि इनमें से किसी भी कारक के कारण समामेलन अवधि के दौरान उत्पादन लागत में कमी आई हो। पैमाने की किफायतें, एकीकृत परिचालन और उत्पादन दक्षता संरचनात्मक विशेषताएं हैं, जो स्वयं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले से मौजूद थीं, और यह नहीं दर्शाया गया है कि ये समामेलन अवधि के दौरान उत्पन्न हुए ऐसे घटनाक्रम हैं जो निर्यात कीमतों में बाद में आई गिरावट को स्पष्ट करने में सक्षम हों।
45. जहां तक चीन के युआन के कथित मूल्यवृद्धि का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य नहीं रखा गया है जो यह दर्शाता हो कि संबद्ध देश के उत्पादकों ने विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण आगत लागतों में किसी प्रकार की कमी या स्थिरता का अनुभव किया। रिकॉर्ड में उपलब्ध विनिमय दर संबंधी जानकारी दर्शाती है कि मूल जांच अवधि के दौरान यूएसडी/सीएनवाई विनिमय दर 7.07 युआन/यूएस डॉलर से बदलकर समामेलन अवधि के दौरान 7.125 युआन/यूएस डॉलर हो गई, जो मूल्यवृद्धि के बजाय लगभग 0.78% के मूल्यहास को दर्शाती है। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी, जिसमें सल्फर कीमत निर्धारण आकड़े भी शामिल हैं, दर्शाती है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के बावजूद समामेलन अवधि के दौरान संबद्ध देश में सल्फर की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। अतः, प्राधिकारी पाते हैं कि मुद्रा मूल्यवृद्धि से संबंधित अनुरोध रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होते हैं और समामेलन अवधि के दौरान देखी गई निर्यात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के लिए कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करते हैं।
46. प्राधिकारी ने इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों के संबंध में उपलब्ध जानकारी की भी जांच की है:

विवरण	यूओएम	मूल अवधि	समामेलन अवधि	परिवर्तन
घरेलू बिक्री कीमत	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	
(i) कच्ची सामग्री की लागत	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	
(ii) सुविधा लागत	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	

(iii) (i)+(ii) का कुल	रू./मी टन	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	

47. उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि यद्यपि समामेलन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तथापि घरेलू उद्योग अपनी घरेलू बिक्री कीमतों में केवल मामूली वृद्धि ही प्राप्त करने में सक्षम रहा, जो अंतर्निहित उत्पादन लागतों में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम थी।
48. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध की जांच की है कि अपनी उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की पूरी तरह से भरपाई करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता संबद्ध आयातों का परिणाम होना सिद्ध नहीं हुआ है और यह अन्य वाणिज्यिक तथा आर्थिक कारकों के कारण हो सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध सामान्य दावों के रूप में हैं और रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी सकारात्मक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं जो समामेलन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्यों पर ऐसे कारकों की मौजूदगी या प्रभाव को प्रदर्शित करते हों। वैसे भी, वर्तमान कार्यवाही एक समामेलन-रोधी समीक्षा है न कि कोई मूल जांच, और समीक्षा का दायरा वही है जो ऊपर खंड 'च' में निर्धारित किया गया है।
49. अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि उसी अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देश से निर्यात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपने बिक्री मूल्यों में समनुरूप वृद्धि सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा। इन तथ्यों को समग्र रूप से देखने पर यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों के कीमत निर्धारण व्यवहार द्वारा पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर कर दिया गया है तथा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन हुआ है और परिणामस्वरूप ऐसे समामेलन की सीमा तक यह निष्प्रभावी हो गया है।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

50. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति से भिन्न है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश, मलेशिया से भारत को किए गए मूल्य के आधार पर किया गया था। यह अनुरोध किया गया कि यदि सामान्य मूल्य का परिकलन चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है, तो इस पद्धति में चीन के युआन की मूल्यवृद्धि और समामेलन की अवधि के दौरान निविष्टि लागतों में परिणामी कमी को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और यदि प्राधिकारी मलेशियाई मूल्यों सहित किसी तीसरे देश की कार्यपद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं, तो इसे समकालीन और सत्यापन योग्य आकड़ों के आधार पर तथा सुसंगत रूप से लागू किया जाना चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

51. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, पाटनरोधी नियमावली या इसके अनुबंध-1 के अंतर्गत विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण सामान्य मूल्य के समायोजन की आवश्यकता का कोई प्रावधान नहीं है, और चीन के युआन की कथित मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखने के अनुरोध का कोई वैधानिक आधार नहीं है। आवेदक ने आगे अनुरोध किया कि चूंकि मूल जांच में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए मलेशियाई कीमतों को अपनाया गया था, और स्वयं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी यही सुझाव दिया गया है, इसलिए मुद्रा मूल्यवृद्धि या मूल्यहास के लिए किसी भी समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता है, और प्राधिकारी मलेशिया से भारत में आयात मूल्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. एडी नियमावली का नियम 29(2) निम्नानुसार उपबंध करता है:

"(2) जहां पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु का भारत में ऐसी कीमत पर या ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जाता है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन माना जाता है, और जिसके कारण ऐसा शुल्क निष्प्रभावी हो जाता है अथवा निष्प्रभावी हो सकता है, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के पश्चात, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनः निर्धारण करने के बाद तथा आवश्यकता पड़ने पर इन नियमों के क्रमशः नियम 10 और अनुबंध III के उपबंधों के अनुसार पूर्व में निर्धारित सामान्य मूल्य और क्षति में उपयुक्त परिवर्तन या समायोजन करने के बाद, पाटनरोधी शुल्क के रूप या आधार में, अथवा पाटनरोधी शुल्क की राशि में, या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं।"

53. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।
54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल पाटनरोधी जांच में, चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार मलेशिया से भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत के आधार पर किया गया था। मूल जांच में अपनाई गई कार्यपद्धति को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान समामेलन-रोधी समीक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सामान्य मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाना जारी रहना चाहिए। तदनुसार, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने मलेशिया से भारत में आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। कारखाना-द्वार स्तर तक पहुंचने के लिए सीआईएफ मूल्य में आवश्यक समायोजन किए गए हैं।
55. इस अनुरोध के संबंध में कि यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित आधार पर किया जाता है, तो पद्धति में चीन के युआन की कथित मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित आधार पर नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मूल जांच में अपनाई गई कार्यपद्धति के अनुरूप, एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण मलेशिया से भारत में विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत के आधार पर किया गया है। तदनुसार, वर्तमान समीक्षा में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ चीन के युआन के किसी भी कथित मूल्यवृद्धि अथवा मूल्यहास के कारण समायोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
56. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के प्रयोजन से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी की जांच की है:

विवरण	यूओएम	मूल पीओआई	समामेलन अवधि (जुलाई 25 से दिसम्बर 25)
सामान्य मूल्य	अम.डा./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87
एन वी में समायोजन	अम.डा./मी.टन	-	-
समायोजित एनवी	अम.डा./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87

57. पीयूसी के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पीयूसी के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

विवरण	यूओएम	मूल पीओआई	समामेलन अवधि (जुलाई 25 से दिसम्बर 25)
मलेशिया की कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य	अम.डा./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87
निर्यात कीमत	अम.डा./मी.टन	1,106	861
पाटन मार्जिन	अम.डा./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109
पाटन मार्जिन	%	30-40%	50-60%

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समामेलन अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकित पाटन मार्जिन मूल जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन की तुलना में काफी अधिक है। पाटन मार्जिन में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद निर्यात कीमतों में आई पर्याप्त गिरावट के कारण है, और यह रिकॉर्ड में मौजूद उन साक्ष्यों के अनुरूप है जो दर्शाते हैं कि निर्यातकों ने समामेलन अवधि के दौरान अपने निर्यात कीमतों को कम किया, जिससे मौजूदा पाटनरोधी उपाय का उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हुआ।
59. मूल जांच में निर्धारित क्षतिरहित कीमत को ध्यान में रखते हुए तथा एडी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार उपयुक्त परिवर्तनों के लिए विधिवत रूप से समायोजित करते हुए, समामेलन अवधि के लिए क्षतिरहित कीमत *** रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है।

60. क्षतिरहित कीमत और संबद्ध वस्तु की पंहुच कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध वस्तु के लिए क्षति मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

विवरण	यूओएम	मूल पीओआई	समामेलन अवधि (जुलाई 25 से दिसम्बर 25)
एनआईपी	रू./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107
विनिमय दर	रू./डा.	83.52	88.65
एनआईपी	अम.डा./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101
पंहुच कीमत	अम.डा./मी.टन	1,281	1,064
क्षति मार्जिन	अम.डा./मी.टन	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	174
क्षति मार्जिन	%	20-30%	50-60%

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समामेलन अवधि के दौरान क्षति मार्जिन मूल जांच में निर्धारित क्षति मार्जिन की तुलना में काफी अधिक है। क्षति मार्जिन में वृद्धि क्षतिरहित कीमत में वृद्धि के साथ-साथ समामेलन अवधि के दौरान आयातों के पंहुच कीमत में आई गिरावट का परिणाम है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों में पर्याप्त वृद्धि यह दर्शाती है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समामेलन अवधि के दौरान पाटन और क्षति की सीमा की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है और इस उपाय का उपचारात्मक प्रभाव समामेलन के माध्यम से कमजोर हुआ है।

झ. संशोधित शुल्क का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

62. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि समामेलन-रोधी समीक्षा शुरू होने की तिथि से पाटनरोधी शुल्क के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए घरेलू उद्योग का अनुरोध किसी भी साक्ष्य या औचित्य द्वारा असमर्थित है। उन्होंने अनुरोध किया कि एडी नियमावली का नियम 31(1) प्राधिकारी को एक विवेकाधिकार प्रदान करता है, जैसा कि "कर सकेंगे" शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है, और व्यापार उपचारात्मक उपायों के भूतलक्षी अनुप्रयोग का सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए जहां अन्यथा उपाय का उपचारात्मक प्रभाव गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *सीमाशुल्क आयुक्त, बेंगलूर बनाम जी.एम. एक्सपोर्ट्स एवं अन्य* के निर्णय और कानूनों में अनुज्ञात्मक भाषा की व्याख्या पर आधारित अन्य निर्णयों पर भरोसा किया गया।

- ख. आगे यह भी अनुरोध किया गया कि अनंतिम निर्धारण शुरू होने से पूर्व की अवधि के लिए शुल्क का पूर्वव्यापी संशोधन आयातकों के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा करेगा, इसके लिए संपन्न हो चुके आकलनों को फिर से शुरू करना आवश्यक होगा और डाउनस्ट्रीम ग्राहकों से शुल्क वसूलने में व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी। यह इंगित किया गया कि जांच शुरू होने की तिथि से लगभग 105 दिनों की एक पर्याप्त अवधि तक अनंतिम निर्धारण लागू नहीं था, और प्राधिकारी द्वारा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील से संबंधित परिवर्चना-रोधी जांच के अंतिम जाँच परिणाम पर भरोसा किया गया, जिसमें प्राधिकारी ने ऐसी स्थिति में शुल्क की पूर्वव्यापी वसूली की चुनौतियों पर ध्यान दिया था जहां अनंतिम निर्धारण नहीं किया गया है।

झ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

63. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी शुल्क की राशि या रूप में संशोधन को जांच शुरू होने की तिथि से लागू करने की सिफारिश करें। यह अनुरोध किया गया कि समामेलन का अस्तित्व अपने आप में प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के पक्ष में नियम 31 के अंतर्गत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए एक पर्याप्त आधार बनाता है, और जिस तरीके से सीमा शुल्क अधिकारी शुल्कों के संग्रहण और निर्धारण को परिचालित करते हैं, वह पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के प्रश्न से एक अलग विचारणीय विषय है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली का नियम 31(1) यह प्रावधान करता है कि यह निर्धारित होने पर कि पाटनरोधी शुल्क का समामेलन हुआ है, प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के रूप या आधार, अथवा उसकी राशि, या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं, और ऐसा संशोधन नियम 30 के अंतर्गत जांच शुरू होने की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हो सकता है। अतः पूर्वव्यापी अनुप्रयोग की सिफारिश एक ऐसा मामला है जिसका प्रयोग प्रावधान के उद्देश्य और प्रयोजन तथा मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना है।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस तिथि से संशोधित शुल्क लागू होना चाहिए, उस प्रश्न की जांच एडी नियमावली के नियम 31 के उद्देश्य और प्रयोजन तथा मामले के तथ्यों के आलोक में की जानी है। नियम 31(3) इस संशोधन को नियम 30 के अंतर्गत जांच शुरू होने की तिथि से अथवा ऐसी अन्य तिथि से प्रभावी करने की अनुमति देता है जिसकी सिफारिश प्राधिकारी द्वारा की जाए। वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार ने दिनांक 3 जुलाई 2026 की अधिसूचना सं. 13/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा वर्तमान समीक्षा के परिणाम आने तक, विभेदात्मक पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के अनंतिम निर्धारण का आदेश दिया है। जांच शुरू होने की तिथि और उक्त अधिसूचना के बीच की अवधि के लिए, संबद्ध वस्तु के आयातों का निर्धारण बिना किसी गारंटी के अंतिम रूप से किया गया था, और उस अवधि के लिए विभेदात्मक शुल्क की पूर्वव्यापी वसूली के लिए पहले से संपन्न हो चुके आकलनों का फिर से मूल्यांकन करना होगा तथा पहले से ही स्वीकृत किए गए और कई मामलों में उपभोग किए गए या आगे बेचे गए माल के संबंध में आयातकों से शुल्क की वसूली करनी होगी। तथापि, उक्त अधिसूचना की तिथि से, निर्धारण अनंतिम हैं और आयातक इस वर्तमान समीक्षा से उत्पन्न होने वाले विभेदात्मक शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित हैं।

66. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों ने अपनी निर्यात कीमतों को कम करके पाटनरोधी शुल्क को समामेलित कर लिया, जिससे ऐसा शुल्क समामेलन की सीमा तक निष्प्रभावी हो गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनंतिम निर्धारण केवल 3 जुलाई 2026 से ही परिचालित किया गया था, प्राधिकारी प्रावधानों के उपचारात्मक उद्देश्य और संपन्न हो चुके आकलनों की निश्चितता के बीच संतुलन बनाना उपयुक्त मानते हैं। अतः, प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 31(3) के साथ पठित नियम 31(1) के अंतर्गत यह सिफारिश करते हैं कि संशोधित पाटनरोधी शुल्क 3 जुलाई 2026 से लागू किया जाए, अर्थात् उस तिथि से जब अधिसूचना सं. 13/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से संबद्ध वस्तु के आयातों को अनंतिम निर्धारण के अधीन किया गया था।

ज. प्रयोक्ताओं पर प्रभाव और आर्थिक हित

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

67. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों ने उन प्रयोक्ताओं और आयातकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्माण के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयात पर निर्भर हैं।
- ख. यह अनुरोध किया गया कि टायर निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कई कच्चे माल वर्तमान में व्यापार उपचारात्मक जांचों या शुल्कों के अधीन हैं, जिनमें आईआईआर, सल्फोनामाइड एक्सेलेरेटर, टीडीक्यू और ईएसबीआर शामिल हैं, तथा टायर निर्माताओं पर ऐसे उपायों का संचयी प्रभाव महत्वपूर्ण है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान में डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्कों के सटीक प्रभाव का आकलन करने में कठिनाई को भी रेखांकित किया, क्योंकि आवश्यक गणनाओं में समय लगता है और अतिरिक्त आकड़े संकलन की आवश्यकता होती है।

ज.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

68. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच मूल जांच में की गई थी और इसे न्यूनतम पाया गया था, तथा वर्तमान समीक्षा में रिकॉर्ड में कोई नया साक्ष्य नहीं रखा गया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के डाउनस्ट्रीम और प्रयोक्ता प्रभाव से संबंधित मुद्दों की मूल पाटनरोधी जांच में विस्तार से जांच की गई थी। प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा था कि एमआरएफ द्वारा प्रस्तुत आकड़ों ने प्रदर्शित किया कि पीयूसी का हिस्सा टायर की कुल लागत का केवल एक नगण्य अनुपात था और इसलिए डाउनस्ट्रीम टायर उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा। प्राधिकारी ने आगे यह भी नोट किया था कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बहाल करना है और इसके परिणामस्वरूप आयात बंद नहीं होता है। मूल जांच के अंतिम जाँच परिणाम के पैराग्राफ 128 से 131 में इन मुद्दों की जांच की गई थी।
70. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में, आर्थिक हित प्रश्नावली के भाग-IV के अंतर्गत निर्धारित डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत और कीमत पर शुल्क के प्रभाव का मात्रात्मक विवरण एमआरएफ द्वारा प्रस्तुत नहीं

किया गया है, और एटीएमए ने कहा है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, रोजगार, लाभप्रदता और डाउनस्ट्रीम कीमतों पर शुल्क के प्रभाव से संबंधित सदस्य-स्तरीय जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड में रखे गए किसी भी नए तथ्य, साक्ष्य या परिस्थितियों के अभाव में और चूंकि यह जांच एक समामेलन-रोधी समीक्षा है, प्राधिकारी इस संबंध में मूल जांच में दर्ज जॉच परिणामों की पुनः जांच का कोई आधार नहीं पाते हैं।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

71. विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को समाहित करने वाला प्रकटीकरण विवरण 14 सितंबर 2026 को हितधारकों को जारी किया गया था। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) के अनुरोध पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की समय-सीमा 17 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई थी। आवेदक, ओसीसीएल लिमिटेड, तथा एटीएमए की ओर से स्वयं और उसकी सदस्य कंपनियों, विषय देश के किसी भी उत्पादक या निर्यातक से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। प्राधिकरण ने प्रकटीकरण के पश्चात प्राप्त टिप्पणियों की, उन्हें प्रासंगिक माने जाने की सीमा तक, जांच की है। ऐसी प्रस्तुतियाँ, जिनमें पहले की उन प्रस्तुतियों को दोहराया गया है जिनकी इन अंतिम निष्कर्षों में पहले ही जांच की जा चुकी है, संक्षिप्तता के दृष्टिगत पुनः प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

ट.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

72. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद, स्थिति, समीक्षा के दायरे, मौखिक सुनवाई, समामेलन, सामान्य मूल्य के पुनर्मूल्यांकन, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन, तथा प्रयोक्ताओं पर प्रभाव के संबंध में प्रकटन विवरण में दर्ज किए गए अवलोकनों की पुष्टि अंतिम जॉच परिणामों में की जाए।
73. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संशोधित शुल्क 3 जुलाई 2026 से नहीं, बल्कि जांच शुरू होने की तारीख, अर्थात् 20 मार्च 2026 से लागू होना चाहिए; क्योंकि नियम 31(1) स्पष्ट रूप से जांच शुरू होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति देता है, और जांच शुरू होने तथा अनंतिम मूल्यांकन की अधिसूचना के बीच का अंतराल अपने आप में उस अवधि को अनिर्णित छोड़ देने का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता। इस संदर्भ में चीन जनवादी गणराज्य (2002) से लेड एसिड बैटरियों से संबंधित न्यू शिपर समीक्षा के मामले पर भरोसा जताया गया है, जिसमें अनंतिम मूल्यांकन बाद में अधिसूचित किए जाने के बावजूद जांच शुरू होने की तारीख से ही शुल्क की सिफारिश की गई थी।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

74. एटीएमए ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के लिए दिया गया समय अपर्याप्त था और प्राकृतिक न्याय व पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.2 के विपरीत था, तथा प्राधिकारी को नियम 30(7) के परंतुक के तहत अनुमत समय-विस्तार का लाभ उठाना चाहिए था। इस संदर्भ में *निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ (गुजरात उच्च न्यायालय, 2017)* और *महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाम भारत संघ (दिल्ली उच्च न्यायालय, डब्ल्यूपी 3022/2014)* पर भरोसा जताया गया है।

ख. प्रकटन विवरण नियम 16 के विपरीत, समामेलन के निर्णायक निष्कर्ष दर्ज करता है।

ग. क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की पद्धति का अगोपनीय संस्करण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

- घ. यह निष्कर्ष कि एमआरएफ लिमिटेड की आयात कीमतों में गिरावट आई है, एमआरएफ लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तर के अनुबंध 3 के विपरीत है, जो निर्यात मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है; अतः प्राधिकारी को एमआरएफ लिमिटेड के अपने आयातों से संबंधित सौदा-वार डीजी सिस्टम्स आकड़ों का प्रकटन अवश्य करना चाहिए।
- ङ. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 पर भरोसा अनुचित है; वैकल्पिक रूप से, अनुच्छेद 11.2 के तहत क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच आवश्यक है। नियम 30(6), जिस सीमा तक ऐसी जांच से छूट प्रदान करता है, वह धारा 9क(1ख), पाटनरोधी करार तथा संविधान के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है, और प्राधिकारी को इस अनुरोध का समाधान करना चाहिए।
- च. अल्प सूचना पर जब सम्मेलन कक्ष उपलब्ध नहीं था मौखिक सुनवाई को हाइब्रिड मोड में बदलना और प्राधिकारी ने स्वयं वर्चुअल माध्यम से भाग लिया—सुनवाई के निष्पक्ष अवसर से वंचित करना था।
- छ. कच्चे माल और सुविधा लागत संबंधी आकड़े केवल घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किये गए थे; यह आकड़े घरेलू उद्योग की लागत को दर्शाते हैं और इसे संबद्ध देश के उत्पादकों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, जिनके सोर्सिंग आधार भिन्न हैं, पैमाने की मितव्ययिता का लाभ है, तथा मूल्यहास का सामना करते रुपये के मुकाबले चीनी युआन के अधिमूल्यन का लाभ प्राप्त है। आईसीएस मूल्य आकड़े, जिस पर भरोसा किया गया था, साझा नहीं किया गया। प्रकटन विवरण दो अवधियों के बीच विनिमय दरों की तुलना करता है, जबकि अनुरोध समामेलन अवधि के दौरान युआन के अधिमूल्यन से संबंधित था।
- ज. मलेशिया से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता था; निर्यातक के उत्तर के अभाव में इसे परिचालन पद्धतियों के मैन्युअल के अनुसार उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए, और कारखाना-द्वार स्तर पर समायोजित की गई आयात कीमत सामान्य मूल्य के रूप में काम नहीं कर सकती है।
- झ. दोनों अवधियों के बीच क्षतिरहित कीमत में केवल मामूली उतार-चढ़ाव आया, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में लगभग 15 प्रतिशत की दावाकृत वृद्धि के साथ असंगत है।
- ञ. संशोधित शुल्क भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि नियम 31(1) के अंतर्गत शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग ठोस कारणों के आधार पर संयम से किया जाना चाहिए; विकल्प के तौर पर, इसे 3 जुलाई 2026 से पहले लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिस तारीख से अंतिम मूल्यांकन प्रभावी हुआ था।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो अधिनियम और न ही पाटनरोधी नियम प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के लिए किसी न्यूनतम अवधि का निर्धारण करते हैं, तथा दिए गए समय की पर्याप्तता का आकलन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना होता है। नियम 30(7) के अंतर्गत समीक्षा को जांच शुरू होने के छह महीने के भीतर समाप्त करना आवश्यक था, और विशेष परिस्थितियों में उस अवधि को परंतुक के अंतर्गत बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है; टिप्पणियों का समय वैधानिक अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था और एटीएमए के अनुरोध पर इसे बढ़ाया गया था। वर्तमान कार्यवाही सीमित दायरे और कम भाग लेने वाले पक्षकारों वाली एक समीक्षा है। प्रकटन विवरण किसी भी ऐसी जानकारी पर निर्भर नहीं है जो प्रत्युत्तर के चरण में रिकॉर्ड में

- मौजूद नहीं थी; एटीएमए की टिप्पणियों में ऊपर उल्लिखित (ज) और (झ) के अतिरिक्त प्रत्येक मुद्दा उसके पूर्व अनुरोधों में उठाया गया था और प्रकटन विवरण में उसकी जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, एटीएमए ने प्रकटन विवरण के प्रत्येक भाग पर निर्धारित समय के भीतर विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिन पर प्राधिकारी ने गुण-दोष के आधार पर विचार किया है। प्राधिकारी यह नहीं पाते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को अपने हितों की रक्षा के पूर्ण अवसर से वंचित किया गया है।
76. नियम 16 के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करना अनिवार्य है जो उनके निर्णय का आधार बनते हैं। प्रकटन विवरण में यह दर्ज किया गया था कि इसमें वे आवश्यक तथ्य शामिल हैं जो अंतिम जाँच परिणामों का आधार बनेंगे और सभी उत्तरों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। ऐसा प्रकटन जो यह इंगित न करे कि प्राधिकारी आवश्यक तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव रखते हैं, वह सार्थक टिप्पणी करने में सक्षम नहीं बनाएगा। इन अंतिम जाँच परिणामों में परिणाम प्राप्त टिप्पणियों की जांच के बाद ही निकाले गए हैं।
77. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग के लागत आकड़ों के आधार पर किया गया है, जो रिकॉर्ड में गोपनीय आधार पर मौजूद है, तथा विस्तृत गणनाएं घरेलू उद्योग को प्रकट कर दी गई हैं। यह पद्धति स्वयं प्रकटन विवरण के अगोपनीय पाठ में स्पष्ट की गई थी, जिसमें यह दर्ज था कि मूल जांच के क्षतिरहित कीमत को अनुबंध III के अनुसार उचित परिवर्तनों के लिए समायोजित किया गया है, और इसे यहाँ पुनः दोहराया जाता है: मूल जांच में निर्धारित क्षतिरहित कीमत को मूल जांच की जांच अवधि और समामेलन अवधि के बीच लागत तत्वों, अर्थात् कच्चे माल और सुविधाओं की लागत में हुए परिवर्तन के अनुसार, अनुबंध III के सिद्धांतों के अनुरूप मूल जांच में अपनाए गए सर्वोत्तम उपयोग मानदंडों और अन्य मापदंडों को बनाए रखते हुए समायोजित किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को इस पद्धति पर टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त था।
78. जहां तक एमआरएफ लिमिटेड की आयात कीमतों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमआरएफ लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तर के अनुबंध 3 में केवल समामेलन अवधि के लिए सौदा-वार खरीद विवरण शामिल है, जो 31 जुलाई 2026 के प्राधिकारी के पत्र के जवाब में एमआरएफ लिमिटेड द्वारा स्पष्ट किए गए अनुसार, गुड्स रिसीप्ट नोट की तारीख के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें मूल जांच अवधि के लिए कोई आकड़े नहीं हैं, और न तो लिखित अनुरोधों, न ही प्रत्युत्तर और न ही प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उस आधार अवधि, आधार कीमत या गणना का उल्लेख है जिससे 25 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गई है। उसी उत्तर के अनुबंध 5 में, जो 2022-23, 2023-24 और जांच अवधि के लिए सभी स्रोतों से एमआरएफ लिमिटेड के औसत आयात कीमत को दर्शाता है, कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह दावा रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।
79. प्राधिकारी ने अनुबंध 3 में सूचित किए गए सौदों की तुलना डीजी सिस्टम्स के आकड़े से की है। दोनों स्रोतों से प्राप्त भारित औसत आयात कीमत समान है। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, वह कीमत डीजी सिस्टम्स आकड़े के अनुसार मूल जांच की जांच अवधि में संबद्ध देश से एमआरएफ लिमिटेड के भारित औसत आयात कीमत की तुलना में काफी कम है। इस प्रकार, एमआरएफ लिमिटेड की आयात कीमतों में गिरावट उसके अपने प्रमाणित आकड़े से ही स्थापित होती है।

विवरण विषय देश से एमआरएफ लिमिटेड का आयात मूल्य	माप की इकाई (UOM)	मूल अवधि (जनवरी-दिसंबर 2023)	अवशोषण अवधि (जुलाई-दिसंबर 2025)
डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों के अनुसार एमआरएफ लिमिटेड के बिल ऑफ एंट्री का भारित औसत आकलनीय (सीआईएफ) मूल्य	रु./मीट्रिक टन	***	***
ट्रेंड	सूचीबद्ध	100	76

आईएनआर से यूएसडी विनिमय दर	रु./\$	***	***
संबंधित अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर पर उपरोक्त मूल्य का रूपांतरण	यूएसडी /मीट्रिक टन	***	***
ट्रेंड	सूचीबद्ध	100	72
एमआरएफ लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के अनुबंध (अनुबंध) 3 के अनुसार भारित औसत सीआईएफ चालान मूल्य	यूएसडी /मीट्रिक टन	—	***
डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों के अनुसार मूल अवधि के संदर्भ में रुझान	सूचीबद्ध	***	***

80. जहाँ तक डीजी सिस्टम्स आकड़े के प्रकटन के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समामेलन अवधि में एमआरएफ लिमिटेड के सौदे वही हैं जो स्वयं एमआरएफ लिमिटेड द्वारा सूचित किए गए हैं, तथा मूल अवधि के सौदे एमआरएफ लिमिटेड के अपने आयात हैं, जिनका विवरण उसके अपने रिकॉर्ड में मौजूद है, और तुलना का आधार ऊपर प्रकट किया जा चुका है। एमआरएफ लिमिटेड ने मूल अवधि के लिए अपने आयात आकड़े रिकॉर्ड में नहीं रखे हैं। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि समामेलन का उनका निर्धारण सभी आयातों के लिए संबद्ध देश से भारत को हुई औसत निर्यात कीमत पर आधारित है, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, न कि एमआरएफ लिमिटेड की आयात कीमतों पर, जिनकी जांच केवल एटीएमए द्वारा दिए गए तर्क के प्रत्युत्तर में की गई थी।
81. समीक्षा का दायरा अधिनियम की धारा 9क(1ख) तथा नियम 29 से 31 द्वारा शासित होता है, और इन अंतिम जाँच परिणामों में की गई जांच इन्हीं प्रावधानों पर आधारित है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.2 का संदर्भ के रूप में दिया गया था, जो कि एटीएमए की ही उस पूर्व अनुरोध के संदर्भ में था जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत समीक्षाओं में व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता होती है; एटीएमए अब यह अनुरोध करता है कि अनुच्छेद 11.2 लागू ही नहीं होता है। किसी भी स्थिति में, ऊपर दर्ज कारणों के आधार पर, समीक्षा का दायरा वही है जो नियम 30(6) द्वारा निर्धारित है। अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की वैधता ऐसा विषय नहीं है जिस पर प्राधिकारी न्याय निर्णयन कर सकें;
82. मौखिक सुनवाई के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुनवाई 29 जुलाई 2026 को वर्चुअल माध्यम से अधिसूचित की गई थी, एटीएमए ने 1 अगस्त 2026 को हाइब्रिड सुनवाई का अनुरोध किया था, पक्षकारों को 4 अगस्त 2026 को सूचित किया गया था कि सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुआ जा सकता है, और सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई जिसमें घरेलू उद्योग सहित सभी पक्षकारों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। एटीएमए ने अपना पक्षकार प्रस्तुत किया और उसके पश्चात लिखित अनुरोध एवं प्रत्युत्तर दायर किया, तथा उसने ऐसी किसी अनुरोध की पहचान नहीं की है जिसे करने से उसे रोका गया हो। नियम सुनवाई के माध्यम का निर्धारण नहीं करते हैं, और नियम 6(7) के अंतर्गत मौखिक अनुरोधों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब वे लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए हों। अतः सुनवाई के प्रभावी अवसर से वंचित करने का कोई आधार नहीं बनता है।
83. लागत आकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अगोपनीय आवेदन में दोनों अवधियों के बीच कच्चे माल और सुविधा लागत की सूचीबद्ध प्रवृत्ति शामिल थी, अपनाए गए आँकड़े वही हैं जिनकी जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है। आईसीआईएस सल्फर कीमत आकड़े को घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर के अगोपनीय प्रदर्श 3 और 4 के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वह हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध था। चीनी युआन के संबंध में, धारा 9क(1ख) के अंतर्गत प्रश्न यह है कि क्या मूल जांच अवधि और समामेलन अवधि के बीच उत्पादन लागत में तदनु रूप परिवर्तन के बिना

निर्यात कीमत में गिरावट आई है, और इसलिए विनिमय दरों की संगत तुलना दोनों अवधियों के बीच की है, जिस दौरान युआन का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कोई अधिमूल्यन नहीं हुआ। निर्यात मूल्यों में गिरावट अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सिद्ध की गई है तथा कच्चे माल और सुविधाओं की लागत में संयुक्त रूप से वृद्धि अमेरिकी डॉलर के साथ-साथ रुपये के संदर्भ में भी दिखाई गई है, ताकि दोनों में से कोई भी रुपये के कीमतहास से प्रभावित न हो। घरेलू उद्योग के आय विवरण में दिया गया बयान, जिस पर एटीएमए ने भरोसा किया है, घरेलू उद्योग की लागतों में वृद्धि की पुष्टि करता है। सोर्सिंग और पैमाने की मितव्ययिता पर शेष अनुरोधों की जांच ऊपर की जा चुकी है।

84. सामान्य मूल्य के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध I के पैरा 7 के अंतर्गत मलेशिया से भारत को उत्पाद की निर्यात कीमत के आधार पर किया गया था, और वर्तमान समीक्षा में अपने लिखित अनुरोधों में एटीएमए ने अनुरोध किया था कि उसी पद्धति को निरंतरता से और समसामयिक आकड़े पर लागू किया जाए। प्राधिकारी ने ऐसा ही किया है। अनुबंध I का पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को की गई कीमत के आधार पर करने की अनुमति देता है, और ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं है कि जब भी निर्यातक सहयोग न करें तो सामान्य मूल्य का निर्माण उत्पादन लागत के आधार पर ही किया जाए; मैनुअल उस स्थिति में निर्माण के तरीके का वर्णन करता है जहाँ वह आधार अपनाया जाता है। मलेशियाई कीमत को सीआईएफ से कारखाना-द्वार स्तर पर समायोजित करना व्यापार के समान स्तर पर निर्यात कीमत के साथ उचित तुलना के लिए आवश्यक है और यह इसे परिकलित कीमत में परिवर्तित नहीं करता है। अतः यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।
85. नॉन-इंजुरियस प्राइस में मामूली बदलाव के बारे में, अथॉरिटी का कहना है कि मौजूदा एंटी-एब्जॉर्प्शन जांच में, सिर्फ़ आर.एम (कच्चे माल) की लागत और यूटिलिटी की लागत को एब्जॉर्प्शन अवधि के दौरान लागू दरों के आधार पर फिर से तय किया गया है; बाकी चीज़ें - जैसे कन्वर्ज़न कॉस्ट, सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च और इस्तेमाल की गई पूंजी पर रिटर्न - को मूल जांच के स्तर पर ही रखा गया है। मूल जांच में एनआईपी और एंटी-एब्जॉर्प्शन में फिर से तय एनआईपी को संबंधित अवधि में लागू एक्सचेंज रेट में दिखाया गया है। मूल पी.ओ.आई की तुलना में एब्जॉर्प्शन अवधि में डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है, जिससे डॉलर के हिसाब से एनआईपी पर असर कम हुआ है। इस तरह, भले ही रुपये के हिसाब से एब्जॉर्प्शन अवधि में प्रोडक्शन की लागत बढ़ी हो, लेकिन डॉलर के हिसाब से तुलना करने पर असर कम हो जाता है। इसलिए, नॉन-इंजुरियस प्राइस में बदलाव पूरी तरह से कच्चे माल और यूटिलिटी की लागत में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप है, जिसे एब्जॉर्प्शन की जांच में आधार माना गया था, और इससे यह संकेत नहीं मिलता कि बाद वाली लागत को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।
86. संशोधित शुल्क के लागू होने की तारीख के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 3 जुलाई 2026 से इसे लागू करने का प्रस्ताव रखने के कारणों को प्रकटन विवरण में दर्ज किया गया था प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि संशोधित शुल्क 3 जुलाई 2026 से लागू हो। घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत न्यू शिपर समीक्षा उस समीक्षा पर लागू होने वाले विशिष्ट नियम द्वारा शासित थी, जो स्वयं जांच शुरुआत की तारीख से लेवी का प्रावधान करता है, और नियम 31 के अंतर्गत विवेकाधिकार के प्रयोग को नियंत्रित नहीं करता है।
87. प्रकटन विवरण के अवलोकनों की पुष्टि का अनुरोध करने वाले घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच इन अंतिम जाँच परिणामों के संबंधित खंडों में की गई है, और वहां दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिश

88. हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोधों और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 'इनसॉल्युबल सल्फर' है, जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था। वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था।
- ख. पाटनरोधी समामेलन समीक्षा हेतु आवेदन भारत में विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक ओसीसीएल लिमिटेड द्वारा नियम 29(3) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, और विधिवत रूप से साक्ष्यों द्वारा पुष्ट था।
- ग. अधिनियम की धारा 9क(1ख) के साथ पठित नियम 29 से 31 के अंतर्गत पाटनरोधी समामेलन समीक्षा का दायरा केवल यह जांचने तक सीमित है कि क्या लागू पाटनरोधी शुल्क समामेलित हो चुका है और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करना है। नियम 30(6) के अंतर्गत क्षति और कारणात्मक संबंध के नए निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।
- घ. मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में समामेलन अवधि में संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात कीमत में रुपये और अमेरिकी डॉलर दोनों संदर्भों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, और यह गिरावट लागू पाटनरोधी शुल्क की राशि से अधिक है।
- ङ. समामेलन अवधि में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में कोई कमी नहीं आई; कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा कच्चे माल और सुविधाओं की लागत में संयुक्त रूप से रुपये और अमेरिकी डॉलर दोनों संदर्भों में वृद्धि हुई, और रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी दर्शाती है कि संबद्ध देश के उत्पादक भी सल्फर की कीमतों में समान वृद्धि से प्रभावित थे।
- च. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी लागतों में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी विक्रय कीमत बढ़ाने में असमर्थ रहा।
- छ. तदनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क अधिनियम की धारा 9क(1ख) और पाटनरोधी नियमों के नियम 29 के अर्थ के अंतर्गत समामेलित हो गया है और ऐसे समामेलन की सीमा तक अप्रभावी हो गया है।
- ज. समामेलन अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मूल जांच में निर्धारित मार्जिन की तुलना में काफी अधिक हैं।
- झ. प्राधिकारी समीक्षा के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं। हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली उत्तरों, मौखिक सुनवाई, लिखित अनुरोधों, प्रत्युत्तरों और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, और किसी वास्तविक पूर्वाग्रह अथवा प्रभावी अवसर से वंचित किए जाने का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है।
89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समीक्षा शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जानकारी प्रदान करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने समीक्षा में भाग नहीं लिया है।
90. लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलित होने के निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 9क(1ख) तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 31 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून 2025 के माध्यम से चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश करते हैं। शुल्क का स्वरूप, अर्थात्

अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन में एक निश्चित राशि, तक अपरिवर्तित रहेगा और केवल इसकी मात्रा संशोधित की गई है। कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, संशोधित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पुनर्मूल्यांकित पाटन मार्जिन और पुनर्मूल्यांकित क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर की गई है, जो नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि है। यह संशोधित शुल्क, चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों पर वर्तमान में लागू शुल्क के स्थान पर, अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून 2025 के माध्यम से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की शेष अवधि के लिए यदि इसे पहले हटाया, अधिव्यापित या संशोधित न कर दिया जाए, लागू रहेगा।

91. प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 31(3) के साथ पठित नियम 31(1) के अंतर्गत और ऊपर दर्ज कारणों से, आगे यह भी सिफारिश करते हैं कि संशोधित पाटनरोधी शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से 3 जुलाई 2026 से लागू हो, जिस तारीख से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को अधिसूचना संख्या 13/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 30(5) के अंतर्गत अनंतिम मूल्यांकन के अधीन किया गया है, तथा उस तारीख को या उसके बाद किए गए आयातों के अनंतिम मूल्यांकनों को तदनुसार अंतिम रूप दिया जाए। अधिसूचना संख्या 13/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जून 2025 के माध्यम से जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क वर्तमान समीक्षा से प्रभावित नहीं होगा।

शुल्क तालिका

क्र सं	उप शीर्ष या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3812 3930, 2802 0010, 3824 9900	इनसाल्यूबल सल्फर	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	कोई	485	मी टन	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	चीन जन गण और जापान से इतर कोई देश	चीन जन गण	कोई	485	मी टन	अम.डा.

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ड. आगे की प्रक्रिया

92. इन अंतिम जॉच परिणामों पर आधारित केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 18th September, 2026

Case No. AD (AA)-02/2026

Subject: Anti-absorption review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of “Insoluble Sulphur” originating in or exported from China PR.

F. No. 7/03/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act” or “CTA”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “AD Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. OCCL Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of ‘Insoluble Sulphur’ (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Japan was initiated vide Notification No. 6/01/2024-DGTR dated 27th March 2024. Pursuant to the investigation, the Authority, through its final findings issued vide F. No. 06/01/2024-DGTR dated 7th March 2025, recommended the imposition of anti-dumping duties on imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Japan for a period of five years. The Ministry of Finance implemented the recommended duties vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6th June 2025. The table below summarises the anti-dumping duties in force at present:

S. No.	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (USD/MT)
1	China PR	Any country including China PR	Any	307
2	Any country other than China PR and Japan	China PR	Any	307
3	Japan	Japan	Shikoku Chemicals Corporation	259
4	Japan	Any country including Japan	Any producer other than at S. No. 3	358
5	Any country other than Japan and China PR	Japan	Any	358

4. In terms of Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act and Rule 29(2) of the AD Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption

of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or may be rendered ineffective, the Authority may, after conducting a review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty and/or the quantum of anti-dumping duty or both, after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application made with sufficient evidence by or on behalf of the domestic industry or any other interested party, as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

5. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant, and having satisfied itself on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant concerning absorption of the anti-dumping duty imposed on the exports from China PR, the Authority initiated an anti-absorption review investigation vide Notification No. 7/03/2026-DGTR dated 20th March 2026 to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on exports of the product under consideration from China PR and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act and Rule 30 of the AD Rules. The investigation was initiated only in respect of exports of the PUC from China PR.

B. PROCEDURE

6. The procedure described hereinbelow has been followed in the investigation:
 - a. The Authority, vide Notification No. 7/03/2026-DGTR dated 20th March 2026, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-absorption review investigation in respect of imports of the subject goods from China PR.
 - b. In accordance with Rule 30(4) of the AD Rules, the Embassy of China PR in India was notified before proceeding to initiate the anti-absorption investigation.
 - c. In accordance with Rule 6(2) of the AD Rules, a copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassy of China PR in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users in India and other interested parties. The intimation of initiation, along with the prescribed questionnaires, was issued to the interested parties on 25th March 2026, prescribing a period of 37 days for filing of questionnaire responses.
 - d. In accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of China PR through its Embassy in India, and to the other interested parties who made a request in writing.
 - e. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-absorption investigation to the known producers/exporters in the subject country and other interested parties, and provided them an opportunity to file responses to the questionnaires in the form and manner prescribed within the prescribed time limit and to make their views known in writing. In response, none of the producers/exporters from the subject country has filed a questionnaire response.
 - f. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - i. CEAT Ltd.
 - ii. MRF Limited

- iii. Oriental Rubber Industries Private Limited
 - iv. Merchem Ltd.
 - v. Pukhraj Engg. and Chemicals Pvt. Ltd.
 - vi. Balkrishna Industries Limited
 - vii. Apollo Tyres Limited
 - viii. Forech India Private Limited
 - ix. MRL Tyres Limited
 - x. Speedways Rubber Company
 - xi. Welman India Private Limited
 - xii. Mahansaria Tyres Private Limited
 - xiii. ATC Tires Private Limited
 - xiv. Bridgestone India Private Limited
 - xv. JK Tyre Industries Limited
 - xvi. General Rubbers
 - xvii. Spectra Chemicals
 - xviii. Cavendish Industries Limited
 - xix. Lanxess India Pvt. Ltd.
 - xx. Yokohama India Pvt. Ltd.
 - xxi. Ralson Tyres Limited
 - xxii. Midas Rubber Private Limited
- g. The Economic Interest Questionnaire was also issued to the interested parties.
- h. Requests for extension of time for filing questionnaire responses were made on behalf of MRF Limited (“MRF”), an importer/user of the subject goods, and the Automotive Tyre Manufacturers’ Association (“ATMA”), a user association, which were considered by the Authority. MRF thereafter filed its User Questionnaire Response and Economic Interest Questionnaire Response. No questionnaire response was filed by ATMA.
- i. Transaction-wise imports data for the absorption period and the period of investigation of the original investigation was procured from DG Systems. The Authority has relied upon the DG Systems data for computing the volume and value of imports of the subject goods into India and for comparison and reconciliation with the responses filed by the interested parties.
- j. In the initiation notification, the Authority recommended provisional assessment of all imports of the product under consideration till the completion of this review, in accordance with Rule 30(5) of the AD Rules. The Central Government has, vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD) dated 3rd July 2026, ordered that, pending the outcome of the present review, imports of the subject goods from China PR attracting anti-dumping duty under Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6th June 2025 shall be subjected to provisional assessment till a decision under Rule 31(3) of the AD Rules is taken by the Central Government, subject to furnishing of such guarantee

as the proper officer of customs deems fit for payment of the differential anti-dumping duty, if any, that may become payable.

- k. All the interested parties were requested to upload the non-confidential versions (NCV) of their submissions/responses/comments filed by them on the SETU portal for access by all other interested parties.
- l. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing. The oral hearing was notified vide notice dated 29th July 2026 and was held on 4th August 2026 in hybrid mode. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 10th August 2026, followed by rejoinder submissions, if any, by 17th August 2026. Post oral hearing written submissions and rejoinder submissions were filed by the applicant and by ATMA/MRF.
- m. The submissions made by the interested parties, the arguments raised and the information provided by the interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Findings.
- n. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties and verified the data/documents submitted by the interested parties to the extent considered relevant and necessary, which forms the basis of this Final Findings .
- o. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- p. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided, necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and recorded this Final Findings on the basis of the facts available.
- q. The period of investigation (POI), i.e., the absorption period, for the purpose of the present investigation is 1st July 2025 to 31st December 2025 (six months). The Authority has compared the prices in the absorption period with the prices in the period of investigation of the original investigation, i.e., 1st January 2023 to 31st December 2023.
- r. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 14th September 2026. The Authority has examined all the post disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- s. ‘***’ in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of the AD Rules.
- t. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 88.65, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the POI. The same rate has been applied throughout this disclosure statement (source: <https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view>).

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**C.1 Submissions of the other interested parties**

7. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
- a. The other interested parties submitted that they had made detailed submissions during the original anti-dumping investigation seeking exclusion of certain grades from the scope of the product under consideration. Although the Authority did not accept those submissions in the original investigation, the other interested parties continue to maintain that the domestic industry is not capable of producing certain superior grades of Insoluble Sulphur, and requested reconsideration of their earlier submissions.

C.2 Submissions of the domestic industry

8. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- a. The applicant submitted that the scope of the product under consideration in the present anti-absorption investigation remains the same as that defined in the original anti-dumping investigation.

C.3 Examination by the Authority

9. As the present investigation is an anti-absorption review of the anti-dumping duty in force, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. Insoluble Sulphur, by definition, is a polymeric sulphur which is insoluble in carbon disulphide (CS₂). Insoluble Sulphur is generally used as a vulcanization agent in some rubber applications in order to resist the blooming phenomenon, which is detrimental to rubber compound.
10. The product under consideration is classifiable under tariff items 2802 00 10 and 3812 39 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act. The product under consideration is also imported under tariff item 3824 99 00. However, Customs classifications are indicative only and are in no way binding for defining the product scope.
11. As held in the original investigation, there are no known significant differences between the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country, and the two are used interchangeably. For the purpose of the present review, the subject goods produced by the domestic industry are treated as like article to the subject goods imported from the subject country.
12. The Authority has examined the submissions of the other interested parties seeking reconsideration of the exclusion of certain grades from the scope of the product under consideration. The Authority notes that the present investigation has been initiated under Rule 30 of the AD Rules, the scope of which is confined to examining whether there has been any absorption of anti-dumping duty following its imposition. Accordingly, the investigation is limited to assessing the existence and extent of duty absorption, if any, and does not extend to matters beyond the ambit of Rule 30. The Authority, therefore, concludes to retain the same scope of the PUC as determined in the original investigation.

D. SCOPE OF THE REVIEW AND STANDING OF THE APPLICANT**D.1 Submissions of the other interested parties**

13. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the present review or the standing of the applicant.

D.2 Submissions of the domestic industry

14. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- a. The applicant submitted that it is the sole producer of the product under consideration in India and accounts for 100% of the domestic production of the subject goods. It was further submitted that it has neither imported the subject goods nor is it related to any exporter of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India. It was also submitted that the application was filed within two years from the date of imposition of the definitive duties in the original investigation and is therefore within the timeline prescribed under Rule 29(3) of the AD Rules.

D.3 Examination by the Authority

15. The present anti-absorption review is in respect of imports of the product under consideration from China PR only.
16. The Authority notes that, in the original investigation, it was concluded that the applicant is the sole producer of the product under consideration, constituting 100% of the total Indian production, and that the applicant constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules. No submission has been made by any interested party disputing the standing of the applicant, and nothing has been placed on record in the present review which alters that position. The Authority, accordingly, holds that the applicant constitutes the domestic industry and that the application has been validly filed in terms of Rule 29 of the AD Rules.

E. SCOPE OF THE ANTI-ABSORPTION REVIEW – WHETHER A FRESH DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK IS REQUIRED

E.1 Submissions of the other interested parties

17. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
- a. The other interested parties submitted that modification of an anti-dumping duty under Section 9A(1B) of the CTA is permissible only where absorption has rendered the existing duty ineffective, and that such a determination necessarily requires an examination of injury and causation.
 - b. It was submitted that under Article 18.1 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade, 1994 (“ADA”), no specific action against dumping can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994 as interpreted by the ADA, and that any such action may be taken only when the constituent elements of dumping, which include injury and causal link, are present. Reliance was also placed on Article 18.4 of the ADA, which requires each Member to ensure the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of the ADA. It was submitted that an anti-absorption review finds no mention in the ADA and that a provision introduced in municipal law cannot contravene the fundamental tenets of the WTO framework.
 - c. It was submitted that the ambiguity in Section 9A(1B) of the CTA must be interpreted to include the requirement of injury and causality analysis, and that any other interpretation would imply that Section 9A(1B) directly contravenes the requirements of the ADA, which is not permissible as per the ratio of the judgment of the Hon’ble Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports and Ors.

It was further submitted that it is an accepted constitutional principle that subordinate legislation cannot be in violation of the statute which has created it, and that the rules framed under Section 9A(1B) of the CTA cannot be in violation of the requirements to be read into that provision.

- d. It was submitted that it is a settled principle that every recommendation of imposition of duty must be based on the established existence of dumping, injury and causal link, and that the modification and enhancement of an existing duty must likewise be informed by a comprehensive and objective analysis of these factors. It was submitted that reviews under Article 11.2 of the ADA also envisage this requirement, and that the Authority has, in sunset reviews conducted under the said provision, carried out an assessment of injury and causal link.
- e. The other interested parties submitted that the domestic industry's reliance on "subsequent and consistent state practice" is misplaced, as the existence of anti-absorption provisions in only three countries besides India, namely the EU, Turkey and the UK, cannot satisfy the threshold required to establish subsequent state practice under the customary rules of treaty interpretation.
- f. The other interested parties also submitted that the Authority is not bound by the practices or precedents of investigating authorities in other jurisdictions, and that the Authority has, in several investigations, declined to follow the approaches of foreign authorities. Therefore, the EU's conduct of anti-absorption reviews cannot, by itself, bind or govern the Authority's approach in the present investigation.

E.2 Submissions of the domestic industry

- 18. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
 - a. The applicant submitted that the anti-absorption review mechanism is fully consistent with the WTO framework and derives legitimacy from the review powers recognised under Article 11.2 of the ADA, and that the absence of an explicit reference to anti-absorption in the ADA does not imply that such reviews are impermissible.
 - b. It was submitted that anti-absorption is not a separate trade remedy measure but a review mechanism intended to preserve the effectiveness of an anti-dumping duty already imposed following a finding of dumping, injury and causal link. It was further submitted that the European Union has expressly recognised before the WTO that anti-absorption proceedings are a form of review under Article 11.2 of the ADA intended to reassess export prices where the effectiveness of an anti-dumping measure has been undermined.
 - c. It was submitted that the scope of any review proceeding is determined by the specific issue that the review is intended to address, and that different review mechanisms serve distinct objectives and consequently do not require a re-examination of all elements assessed in the original investigation. While a sunset review examines the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, a new shipper review is confined to determining an exporter-specific dumping margin, and a product-scope mid-term review is limited to examining the appropriate coverage of the measure. In support of this contention, the applicant relied upon various decisions and prior investigations pertaining to sunset reviews, mid-term reviews and new shipper reviews.
 - d. It was submitted that the inquiry in an anti-absorption review is confined to examining post-duty pricing behaviour and reassessing the relevant export price and margins to determine whether the remedial effect of

the duty has been undermined or absorbed, and that a fresh determination of injury and causal link would impermissibly convert the review into a de novo investigation.

- e. It was submitted that Rule 29(3) of the AD Rules, which requires an anti-absorption application ordinarily to be filed within two years of imposition of the definitive duty and not ordinarily where less than twelve months remain before expiry, confirms that anti-absorption reviews are intended to address post-duty developments proximate to the original investigation and are not meant to reopen the original injury and causal link findings.
- f. The applicant relied on the legislative frameworks and practices of the EU, the UK, Turkey and India to submit that anti-absorption reviews are generally confined to examining absorption and reassessing export prices and margins, without requiring a fresh determination of injury or causal link. In this regard, the applicant relied upon the anti-absorption review investigations earlier conducted by the Authority concerning Polyethylene Terephthalate (PET) Resin and Untreated Fumed Silica, as well as the anti-absorption practice of the European Commission.
- g. It was submitted that Section 9A(1B) of the CTA and the AD Rules must be read together, as the Rules provide the detailed procedural and operational framework for implementing the parent provision, and that the absence of detailed requirements in Section 9A(1B) cannot justify disregarding the Rules framed thereunder. Therefore, there is no legal basis to import a fresh injury and causal link determination into an anti-absorption review contrary to Rule 30(6).

E.3 Examination by the Authority

19. The Authority notes that Rule 30(6) of the AD Rules expressly stipulates that the scope of an anti-absorption review is confined to the re-determination of the dumping margin and the injury margin. The Rule does not envisage a fresh examination of injury and causal link in the manner undertaken during an original investigation. The language employed in Rule 30(6) is clear, specific and unambiguous in limiting the scope of the review to these aspects.
20. The Authority, therefore, finds no basis for the contention that an anti-absorption review requires a de novo assessment of dumping, injury and causal link as if it were a fresh original investigation. Such an interpretation would be contrary to the express scheme and purpose of Rule 30, which is designed to address the issue of duty absorption following the imposition of anti-dumping measures.
21. The Authority further notes that the anti-absorption framework is rooted in the concept of review proceedings contemplated under Article 11.2 of the ADA, which recognises the power of investigating authorities to review the continued necessity and effectiveness of anti-dumping duties after their imposition. This understanding is reflected in the legislative and administrative practice of jurisdictions that maintain anti-absorption provisions. In particular, the European Union treats anti-absorption proceedings as a review of an existing anti-dumping measure for the purpose of determining whether the duty has been absorbed and thereby rendered ineffective.
22. The Authority has also examined the submission that reviews conducted under Article 11.2 of the ADA, such as sunset reviews and mid-term reviews, involve examination of dumping, injury and causal link, and that a similar approach should therefore be adopted in anti-absorption reviews. The Authority does not find merit in this contention. Different review mechanisms under the ADA serve different objectives and consequently differ in scope, and each review is a distinct proceeding with a distinct purpose. Even in the context of sunset reviews, the examination is not identical to that undertaken in an original investigation. Likewise, the Authority's own practice

in mid-term reviews is that where the review is confined to a specific issue, such as modification of product scope, a fresh examination of all the elements determined in the original investigation is not invariably required.

23. The foregoing reflects the principle that the scope of a review proceeding is determined by the issue that the review is intended to address. The contention that every review proceeding must invariably involve a fresh determination of dumping, injury and causal link is not supported either by the WTO framework or by the Authority's consistent practice.
24. The same principle applies with equal force to an anti-absorption review. The purpose of such a review is not to reassess whether dumped imports continue to cause injury to the domestic industry, nor to revisit the correctness of the original findings that formed the basis for the imposition of the anti-dumping duty. The specific issue under examination is whether exporters have, following the imposition of the anti-dumping duty, reduced export prices or otherwise altered their pricing behaviour in a manner that has absorbed or undermined the remedial effect of the duty. Consequently, the investigation is confined to examining post-imposition pricing behaviour and re-computing the relevant margins required to restore the effectiveness of the existing measure.
25. The Authority has further considered the submission that subordinate legislation cannot be interpreted in a manner inconsistent with the parent statute and that Rules 29 to 31 of the AD Rules cannot derogate from Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act. The Authority notes that Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act creates the substantive power to address absorption of anti-dumping duties and contemplates the prescription of the detailed procedure and mechanism through delegated legislation. Accordingly, the scope, procedure and extent of an anti-absorption review have been prescribed under Rules 29 to 31 of the AD Rules. The interpretation advanced by the other interested parties would effectively require every procedural and operational aspect of the anti-absorption framework to be expressly incorporated in the parent statute itself, which is contrary to the very purpose of delegated legislation. The Authority, therefore, finds that Rule 30(6) gives effect to, and operates consistently with, the scheme and object of Section 9A(1B) of the Customs Tariff Act.
26. For the reasons recorded above, the Authority notes that an anti-absorption review does not require a fresh determination of injury and causal link.

F. PROCEDURAL ISSUES RELATING TO THE ORAL HEARING

F.1 Submissions of the other interested parties

27. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
 - a. The other interested parties submitted that hybrid oral hearings are a pressing need in trade remedy investigations and are not merely a matter of procedural convenience but form a component of a fair and meaningful hearing in quasi-judicial proceedings. In this regard, reliance was placed on certain decisions of the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts on the conduct of hearings in hybrid mode by quasi-judicial bodies.
 - b. It was submitted that the oral hearing was initially notified to be conducted virtually and was subsequently converted into a hybrid hearing with less than four hours' notice, thereby affecting the parties' ability to participate effectively in the proceedings, particularly as MRF is based in Chennai. The Authority was requested to reconvene the oral hearing in hybrid mode with adequate notice.

F.2 Submissions of the domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- a. The applicant submitted that the oral hearing was duly notified in advance, that all parties, including the applicant, in fact participated through the virtual platform, and that no prejudice has been caused to any party by the communication extending the option of physical participation. It was submitted that the objection is devoid of factual and legal merit.

F.3 Examination by the Authority

29. The Authority notes that all the interested parties were duly informed, well in advance, of the date and time of the oral hearing scheduled for 4th August 2026. The hearing was initially notified to be conducted through virtual mode, thereby ensuring that all interested parties had a full and effective opportunity to participate in the proceedings irrespective of their location. The subsequent communication regarding the availability of the hybrid mode did not alter the scheduled hearing or curtail the opportunity already afforded to the parties; rather, it merely extended an additional option for those who wished to attend the hearing physically. The Authority, therefore, finds no substance in the contention that the subsequent communication of the hearing in hybrid mode in any manner impaired or curtailed the opportunity already available to the other interested parties to participate in the oral hearing.
30. The Authority further notes that the subsequent communication of the hybrid mode did not result in any adverse consequence to the other interested parties. No interested party attended the hearing physically, and all participating parties, including the applicant, joined the hearing through the virtual platform. Thus, all parties participated through the same mode and no procedural or substantive advantage was afforded to any party over another.
31. The Authority, therefore, finds that the contention that the later introduction of a hybrid mode caused prejudice is not borne out by the manner in which the hearing was conducted in practice. The other interested parties have not demonstrated how their participation through the virtual platform, or the communication regarding the availability of a hybrid format approximately four hours prior to the hearing, impaired their ability to present their case or otherwise caused any prejudice. In the absence of any evidence of actual prejudice or denial of an effective opportunity to be heard, the Authority finds no merit in the request for reconvening the oral hearing.

G. EXAMINATION OF ABSORPTION OF THE ANTI-DUMPING DUTY**G.1 Submissions of the other interested parties**

32. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
- a. The other interested parties submitted that the domestic industry's claim of a decline in export prices following the imposition of the anti-dumping duty is inconsistent with the data available with the interested parties. It was submitted that the data furnished by MRF in its questionnaire response shows an increase in the export prices of the PUC of approximately 25%, which is commensurate with the increase warranted by the quantum of the anti-dumping duty originally levied on the PUC (USD 307/MT). It was submitted that this negates the assertion of absorption and shows that the domestic industry has been provided a level playing field.

- b. It was submitted that there are material discrepancies between the data relied upon by the domestic industry and that available with the interested parties, and that, having regard to the requirement under Rule 8 of the AD Rules that the Authority satisfy itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, the Authority should direct the domestic industry to disclose the import data relied upon for its claim of a decline in export prices, to enable verification and response.
- c. It was contended that the increase in the domestic industry's cost of production cannot be transposed to the producers/exporters in China PR, as the two have different raw material sourcing bases. It was submitted that the domestic industry sources its Sulphur feedstock primarily from the Gulf, whereas Chinese producers/exporters have a more diversified sourcing base, including Japan and Canada, exposing them to different supply and pricing conditions.
- d. It was further submitted that differences in the scale of operations and the economies of scale enjoyed by Chinese producers/exporters, who operate large-scale and integrated operations, also affect their raw material costs, and that an increase in raw material costs incurred by the domestic industry in India cannot be presumed to have been similarly experienced by the producers/exporters in the subject country.
- e. It was also submitted that currency movements materially affected the respective costs, with the depreciation of the Indian Rupee, estimated at approximately 9.9%, increasing the domestic-currency cost of imported inputs, while the appreciation of the Chinese Yuan, estimated at approximately 3-4% during the period of absorption, enabled Chinese producers/exporters to procure inputs at reduced or stable costs.
- f. It was submitted that the record of the present review does not contain any verifiable data on the costing and pricing dynamics of the producers/exporters of the subject country, and that the domestic industry's claims are based solely on its own data.
- g. The other interested parties further submitted that the domestic industry has failed to establish that its alleged inability to recover increased raw material and utility costs is attributable to the subject imports. It was submitted that selling prices are influenced by several factors, including production efficiency, depreciation, interest costs, capital expenditure, demand conditions and the overall economic environment, and that this underscores the need for an injury and causality analysis.

G.2 Submissions of the domestic industry

- 33. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
 - a. The applicant submitted that the evidence furnished in the application demonstrates that the Chinese exporters' CIF prices to India have declined significantly after the imposition of the duty, while raw material and utility costs have increased, showing that the Chinese exporters have absorbed the anti-dumping duty, thereby undermining its remedial effect. The applicant further submitted that the domestic industry was unable to increase its selling price commensurate with the increase in raw material and utility costs despite the imposition of the anti-dumping duty, and that the dumping margin and injury margin during the absorption period are significantly higher than the margins determined in the original investigation.
 - b. The applicant submitted that no exporter or producer from China PR participated either in the present review or in the original investigation, and that, consequently, the claims of the other interested parties regarding exporter pricing and costs lack direct evidentiary basis and are speculative.

- c. The applicant submitted that the other interested parties have failed to substantiate any increase in the average import price during the POI. On the contrary, as per the applicant's market intelligence, MRF's import prices declined by approximately 30% during the absorption period. The applicant further submitted that the request for disclosure of the applicant's import data is legally impermissible, as such customs-related information is protected under Section 135AA of the Customs Act, 1962, and that, in any event, the investigation was initiated on the basis of, and the Authority relies upon, the transaction-wise import data of DG Systems and not the applicant's market intelligence.
- d. The applicant submitted that the assertion that its Sulphur procurement is linked to the Gulf countries is factually incorrect, as the applicant procured 100% of its Sulphur requirements from domestic suppliers during the relevant period. It was further submitted that the other interested parties' own evidence contradicts their claim that Chinese producers are insulated from Gulf-region Sulphur prices through diversified sourcing, since China remained substantially dependent on Middle Eastern supplies, with the Gulf countries accounting for approximately 53% of its Sulphur imports during July-December 2025, while imports from Canada and Japan accounted for only about 12% and 6%, respectively.
- e. The applicant submitted that the import data of Sulphur and the ICIS published prices demonstrate that Sulphur prices increased substantially in both India and China during the absorption period, and that Chinese producers were accordingly exposed to the same global increase in Sulphur prices.
- f. The applicant submitted that the reliance on economies of scale is irrelevant, as such efficiencies existed during the original investigation as well, and despite the same the Chinese prices were at dumped levels; therefore, economies of scale, if any, do not explain the subsequent decline in export prices.
- g. The applicant submitted that the reliance on the appreciation of the Chinese Yuan is factually incorrect and unsupported by producer-specific evidence. As per the exchange rate data relied upon by the applicant, the USD/CNY exchange rate moved from 7.07 Yuan/USD during the original investigation period to 7.125 Yuan/USD during the absorption period, reflecting a depreciation of approximately 0.78% rather than an appreciation, while actual Sulphur prices in China increased sharply during the absorption period.

G.3 Examination by the Authority

34. The Authority notes that no exporter or producer from the subject country has participated in the present review investigation. In the absence of exporter participation and exporter-specific information on record, the Authority has considered the transaction-wise import data obtained from DG Systems for examining export price movements during the absorption period. Based on its examination of the DG Systems data, the Authority notes that the export price of the product under consideration from the subject country to India has declined significantly during the absorption period as compared to the period of investigation of the original investigation, as reflected in the table below:

Particular	UOM	Original period	Absorption period	Change
Export price (ex-factory)	Rs/MT	92,373	76,369	(16,004)
Trend	Indexed	100	83	
Exchange rate	Rs/\$	83.52	88.65	
Export price (ex-factory)	\$/MT	1,106	861	(245)
Trend	Indexed	100	78	

Source: For the original POI, as determined in the final findings dated 7th March 2025 in the original investigation; for the absorption period, transaction-wise import data of DG Systems, duly adjusted to the ex-factory level.

35. The Authority notes that the export prices from the subject country have declined in both INR and USD terms.
36. With respect to the submission of the other interested parties that the import prices of MRF have in fact increased by approximately 25%, the Authority has examined the imports made by MRF on the basis of the transaction-wise import data procured from DG Systems and notes that the import prices of MRF have declined in the absorption period as compared to the period of investigation of the original investigation. The claim of the other interested parties in this regard is, therefore, not borne out by the import data on record.
37. The Authority has further examined the submission that the absence of an increase in export prices commensurate with the anti-dumping duty imposed negates the existence of absorption. The Authority does not find merit in this contention. In the present case, the export price at the ex-factory level declined by USD 245/MT during the absorption period, notwithstanding an increase of USD *** per MT in the raw material cost alone. The decline in prices, taken together with the increase in the cost of production, exceeds the quantum of the anti-dumping duty of USD 307/MT and has the effect of offsetting the remedial impact of the anti-dumping measure. The observed decline in export prices, therefore, constitutes a relevant factor supporting the examination of absorption in the present review.
38. The applicant has submitted that the raw material and utility costs have increased whereas the import price has declined. The Authority has examined the data. The table below shows the change in raw material and utility cost between the original period and the absorption period:

Particulars	UOM	Original period	Absorption period	Change
Raw material	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	-
Utility	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	-
Total input cost	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	-
Exchange rate	Rs/\$	83.52	88.65	-
Total of above	\$/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	-

39. It is seen that the cost on account of raw material has increased in the absorption period in both INR and USD terms. The Authority, therefore, notes that the cost of production did not decline during the absorption period and, on the contrary, witnessed a significant increase. In a normal market environment, an increase in production costs would ordinarily be reflected in higher selling and export prices. In the present case, however, export prices declined despite an increase in the cost of production. This disconnect between the movement in the cost of production and the export price behaviour indicates that the reduction in export prices cannot be attributed to underlying cost factors, and that the exporters absorbed the anti-dumping duty by lowering their export prices.
40. The Authority notes that Sulphur is the major raw material for manufacturing the subject goods. The applicant has provided information on Sulphur imports into China as per Trade Map data. Based on the said information,

the prices of Sulphur have increased during the absorption period as compared to the original period of investigation, whereas the landed price from China has declined over the said period:

Period	Unit	Landed price	Sulphur global price	Raw material cost
Jan'23 to Dec'23	US\$/MT	1,281	127	***
July'25 to Dec'25	US\$/MT	1,064	308	***
Change	US\$/MT	(217)	181	***
Change	%	(17%)	142%	24%

Source: Sulphur global price as per imports into China as per Trade Map data; raw material cost as per domestic industry data

- a. The landed price from China has declined by 17% or USD 217 per MT during the absorption period as compared to the original period of investigation.
41. With respect to the submissions of the other interested parties regarding the alleged absence of evidence concerning the cost of production of exporters in the subject country and the various explanations advanced to justify the decline in export prices, the Authority notes that no exporter or producer from the subject country has participated in either the present anti-absorption review or the original anti-dumping investigation. In the absence of cooperation from the exporters concerned, exporter-specific information regarding cost structures, sourcing patterns, production economics and pricing behaviour is not available on record. In such circumstances, the Authority is required to proceed on the basis of the best information available and cannot accept an interpretation that would permit exporters to defeat the purpose of an anti-absorption review merely by withholding relevant information through non-participation.
 42. With respect to the submissions concerning Sulphur prices and the sourcing pattern of the domestic industry and China, the Authority notes that Sulphur is a globally traded commodity and the information available on record indicates a substantial increase in Sulphur prices during the relevant period. The contention that the domestic industry's costs were uniquely affected by developments in the Gulf region is not supported by the facts on record, which show that the applicant sourced 100% of its Sulphur requirements from domestic suppliers during the relevant period. Further, the material relied upon by the other interested parties does not substantiate their contention that producers in the subject country were insulated from rising Sulphur prices through diversified sourcing. On the contrary, the evidence on record, including the sources relied upon by the other interested parties themselves, indicates continued dependence on Middle Eastern sources for a significant proportion of Sulphur imports into the subject country, and shows that Sulphur prices in the subject country increased substantially during the absorption period.
 43. The Authority has also examined the Sulphur pricing information placed on record by the domestic industry. The information demonstrates a significant increase in Sulphur prices during the absorption period in both India and the subject country, and shows that Sulphur prices prevailing in the subject country were broadly comparable to those prevailing in India and exhibited a similar increasing trend during the relevant period. The information on record, therefore, does not support the contention that producers in the subject country were insulated from rising raw material costs or benefited from stable or declining Sulphur prices.
 44. The Authority has further considered the submissions regarding economies of scale, integrated operations, production efficiencies and currency movements. No evidence has been placed on record demonstrating that any

such factors resulted in a reduction in the cost of production during the absorption period. Economies of scale, integrated operations and production efficiencies are structural characteristics which, as per the submissions of the other interested parties themselves, existed prior to the imposition of the anti-dumping duty, and have not been shown to constitute developments arising during the absorption period capable of explaining the subsequent decline in export prices.

45. As regards the alleged appreciation of the Chinese Yuan, the Authority notes that no exporter-specific evidence has been placed on record demonstrating that producers in the subject country experienced any reduction or stabilisation in input costs on account of exchange rate movements. The exchange rate information available on record shows that the USD/CNY exchange rate moved from 7.07 Yuan/USD during the original investigation period to 7.125 Yuan/USD during the absorption period, reflecting a depreciation of approximately 0.78% rather than an appreciation. The information on record, including the Sulphur pricing data, shows a substantial increase in Sulphur prices in the subject country during the absorption period notwithstanding the exchange rate movements. The Authority, therefore, finds that the submissions regarding currency appreciation are not supported by the evidence on record and do not provide a credible explanation for the significant decline in export prices observed during the absorption period.
46. The Authority has additionally examined the information available concerning the domestic selling prices of the domestic industry:

Particular	UOM	Original period	Absorption period	Change
Domestic sale price	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	-
(i) Raw material cost	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	-
(ii) Utility cost	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	-
(iii) Total of (i)+(ii)	Rs/MT	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	-

47. The above table shows that while the cost of production of the domestic industry increased significantly during the absorption period, the domestic industry was able to achieve only a marginal increase in its domestic selling prices, which was substantially lower than the increase in the underlying production costs.
48. The Authority has examined the submission of the other interested parties that the domestic industry's inability to fully recover the increase in its cost of production has not been established to be a consequence of the subject imports and may be attributable to other commercial and economic factors. The Authority notes that these submissions are in the nature of broad assertions and are not supported by any positive evidence on record demonstrating the existence or impact of such factors on the domestic industry's selling prices during the absorption period. In any event, the present proceeding is an anti-absorption review and not an original investigation, and the scope of the review is as set out in Section F above.
49. The Authority, therefore, notes that the evidence on record demonstrates a significant decline in export prices from the subject country following the imposition of the anti-dumping duty, notwithstanding an increase in the

cost of production during the same period, and that the domestic industry was unable to secure a commensurate increase in its selling prices despite the imposition of the anti-dumping duty and the increase in raw material costs. These facts, considered together, indicate that the remedial effect of the anti-dumping measure has been undermined by the pricing behaviour of the exporters from the subject country and that the anti-dumping duty has been absorbed and has consequently become ineffective to the extent of such absorption.

H. REASSESSMENT OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN AND INJURY MARGIN

H.1 Submissions of the other interested parties

50. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
- a. The other interested parties submitted that the methodology adopted by the domestic industry in the application for determination of normal value differs from that adopted by the Authority in the original investigation, wherein the normal value for China PR was determined on the basis of the price from Malaysia, a market economy third country, to India. It was submitted that if the normal value is constructed on the basis of the cost of production in China PR, the methodology must account for the appreciation of the Chinese Yuan and the consequent reduction in input costs during the period of absorption, and that if the Authority determines the normal value on the basis of a third country methodology, including Malaysian prices, the same should be applied consistently and on the basis of contemporaneous and verifiable data.

H.2 Submissions of the domestic industry

51. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- a. The applicant submitted that there is no provision under the CTA, the AD Rules or Annexure-I thereto requiring adjustment of the normal value on account of exchange rate movements, and that the request to account for the alleged appreciation of the Chinese Yuan has no statutory basis. The applicant further submitted that since Malaysian prices were adopted for determining the normal value in the original investigation, and the same have also been suggested by the other interested parties themselves, the question of any adjustment for currency appreciation or depreciation does not arise, and the Authority may determine the normal value on the basis of the import prices from Malaysia into India.

H.3 Examination by the Authority

52. Rule 29(2) of the AD Rules provides as follows:

“(2) Where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of the existing anti-dumping duty, and such duty is thereby rendered or maybe rendered ineffective, the designated authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum of anti-dumping duty, or both, after reassessing the dumping margin and injury margin and appropriate changes or adjustments in previously determined normal value and injury, if necessary, in accordance with the provisions of rule 10 and Annexure III to these Rules, respectively, may be done.”

53. In accordance with the above, the Authority has examined the submissions of the applicant and the other interested parties concerning the reassessment of normal value, non-injurious price, dumping margin and injury margin.
54. The Authority notes that, in the original anti-dumping investigation, the normal value for China PR was determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules on the basis of the import price of the product under consideration from Malaysia into India. Having regard to the methodology adopted in the original investigation, and in order to ensure consistency in the present anti-absorption review, the Authority has determined that the normal value should continue to be determined on the same basis. Accordingly, for the purpose of the present review, the Authority has determined the normal value on the basis of the import price from Malaysia into India. Necessary adjustments have been made to the CIF price to arrive at the ex-factory level.
55. With respect to the submission that, if the normal value is determined on a constructed basis, the methodology must account for the alleged appreciation of the Chinese Yuan, the Authority notes that the normal value in the present review has not been determined on a constructed basis. As noted above, the normal value has been determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules on the basis of the import price of the product under consideration from Malaysia into India, consistent with the methodology adopted in the original investigation. Accordingly, the issue of making adjustments on account of any alleged appreciation or depreciation of the Chinese Yuan does not arise for the purpose of determination of normal value in the present review.
56. The Authority has examined the information available on record regarding normal value and export price for the purpose of reassessing the dumping margin:

Particulars	UOM	Original POI	Absorption period (July'25 to Dec'25)
Normal Value	USD/MT	***	***
Trend	Indexed	100	87
Adjustment in NV	USD/MT	-	-
Adjusted NV	USD/MT	***	***
Trend	Indexed	100	87

57. Considering the normal value and export price for the PUC, the dumping margin for the PUC has been determined as follows:

Particulars	UOM	Original POI	Absorption period (July'25 to Dec'25)
Normal value based on Malaysia price	USD/MT	***	***
Trend	Indexed	100	87
Export price	USD/MT	1,106	861
Dumping Margin	USD/MT	***	***
Trend	Indexed	100	109
Dumping Margin	%	30-40%	50-60%

58. The Authority notes that the reassessed dumping margin during the absorption period is significantly higher than the dumping margin determined in the original investigation. The increase in the dumping margin is attributable to the substantial decline in export prices following the imposition of the anti-dumping duty, and is consistent

with the evidence on record showing that exporters reduced their export prices during the absorption period, thereby undermining the remedial effect of the existing anti-dumping measure.

59. The non-injurious price for the absorption period has been determined at Rs. ***/MT by considering the non-injurious price determined in the original investigation and duly adjusting it for appropriate changes, in accordance with Annexure-III to the AD Rules.
60. Considering the non-injurious price and the landed price of the subject goods, the injury margin for the subject goods has been determined as follows:

Particulars	UOM	Original POI	Absorption period (July'25 to Dec'25)
NIP	Rs./MT	***	***
Trend	Indexed	100	107
Exchange rate	Rs/\$	83.52	88.65
NIP	USD/MT	***	***
Trend	Indexed	100	101
Landed price	USD/MT	1,281	1,064
Injury Margin	USD/MT	***	***
Trend	Indexed	100	174
Injury Margin	%	20-30%	50-60%

61. The Authority notes that the injury margin during the absorption period is substantially higher than the injury margin determined in the original investigation. The increase in the injury margin is a consequence of the increase in the non-injurious price together with the decline in the landed price of imports during the absorption period. The significant increase in both the dumping margin and the injury margin indicates that the existing anti-dumping duty has not remained sufficient to offset the extent of dumping and injury during the absorption period and that the remedial effect of the measure has been undermined through absorption.

I. RETROSPECTIVE APPLICATION OF THE MODIFIED DUTY

I.1 Submissions of the other interested parties

62. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
- The other interested parties submitted that the domestic industry's request for retrospective modification of the anti-dumping duty from the date of initiation of the anti-absorption review is unsupported by any evidence or justification. They submitted that Rule 31(1) of the AD Rules confers a discretionary power on the Authority, as is evident from the use of the word "may", and that the retrospective application of trade remedial measures should be resorted to only in exceptional circumstances where the remedial effect of the measure would otherwise be seriously undermined. Reliance was placed in this regard on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Commissioner of Customs, Bangalore v. G.M. Exports and Ors. and other decisions on the construction of permissive language in statutes.
 - It was further submitted that retrospective modification of the duty for the period prior to the commencement of provisional assessment would create significant uncertainty for importers, require reopening of concluded

assessments and lead to practical difficulties in recovering duties from downstream customers. It was pointed out that provisional assessment was not in place for a substantial period of about 105 days from the date of initiation, and reliance was placed on the final findings of the Authority in the anti-circumvention investigation concerning Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel, wherein the Authority had taken note of the challenges of retrospective collection of duty in a situation where provisional assessment is not undertaken.

I.2 Submissions of the domestic industry

63. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- a. The applicant requested the Authority to recommend that the modification of the quantum or form of the anti-dumping duty be applied from the date of initiation of the investigation. It was submitted that the existence of absorption itself constitutes a sufficient basis for the Authority to exercise its discretion under Rule 31 in favour of retrospective application in the facts and circumstances of the present investigation, and that the manner in which the customs authorities operationalise the collection and assessment of duties is a separate consideration from the question of retrospective application.

I.3 Examination by the Authority

64. The Authority notes that Rule 31(1) of the AD Rules provides that, upon determination that absorption of anti-dumping duty exists, the Authority may recommend modification of the form or basis of the anti-dumping duty, or the quantum thereof, or both, and that such modification may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under Rule 30. The recommendation of retrospective application is thus a matter to be exercised having regard to the object and purpose of the provision and the facts of the case.
65. The Authority notes that the question of the date from which the modified duty should apply is to be examined in the light of the object and purpose of Rule 31 of the AD Rules and the facts of the case. Rule 31(3) permits the modification to be given effect from the date of initiation of the investigation under Rule 30 or from such other date as may be recommended by the Authority. In the present case, the Central Government has, vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD) dated 3rd July 2026, ordered provisional assessment of imports of the subject goods from the subject country, subject to furnishing of a guarantee for payment of the differential anti-dumping duty, if any, pending the outcome of the present review. For the period between the date of initiation and the said notification, imports of the subject goods were assessed finally without any guarantee, and retrospective collection of the differential duty for that period would entail reopening of assessments already concluded and recovery of duty from importers in respect of goods already cleared and, in many cases, consumed or sold onward. From the date of the said notification, however, the assessments are provisional and the importers have been clearly on notice of their liability to pay the differential duty, if any, that may arise from the present review.
66. In the present case, the evidence on record establishes that the exporters from the subject country absorbed the anti-dumping duty by reducing their export prices, thereby rendering the duty ineffective to the extent of such absorption. Having regard to the fact that provisional assessment was operationalised only from 3rd July 2026, the Authority considers it appropriate to balance the remedial object of the provisions with the certainty of concluded assessments. The Authority, therefore, recommends that the modified anti-dumping duty be applied from 3rd July 2026, i.e., the date from which imports of the subject goods have been subjected to provisional

assessment vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD), in terms of Rule 31(1) read with Rule 31(3) of the AD Rules.

J. IMPACT ON USERS AND ECONOMIC INTEREST

J.1 Submissions of the other interested parties

67. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:
- a. The other interested parties submitted that the existing anti-dumping duties on the product under consideration have adversely impacted users and importers who rely upon imports of the product under consideration for the manufacture of downstream products.
 - b. It was submitted that a number of raw materials used in tyre manufacturing are presently subject to trade remedial investigations or duties, including IIR, Sulphonamide Accelerators, TDQ and ESB, and that the cumulative impact of such measures on tyre manufacturers is significant. The other interested parties also pointed out the difficulty in assessing the exact impact of the duties on downstream products at present, as the required calculations are time-consuming and additional data compilation is required.

J.2 Submissions of the domestic industry

68. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard:
- a. The applicant submitted that the impact of the anti-dumping duty on the downstream industry was examined in the original investigation and found to be minimal, and that no new evidence has been placed on record in the present review.

J.3 Examination by the Authority

69. The Authority notes that the issues concerning the downstream and user impact of the anti-dumping duty on the PUC were examined in detail in the original anti-dumping investigation. The Authority had, inter alia, observed that the data submitted by MRF demonstrated that the share of the PUC constituted only a negligible proportion of the total cost of a tyre and that, therefore, the impact of the anti-dumping duty on the downstream tyre industry would be minimal. The Authority had further noted that the imposition of anti-dumping duty is intended to restore fair competition in the domestic market and does not result in cessation of imports. These issues were examined in paragraphs 128 to 131 of the final findings in the original investigation.
70. The Authority further notes that, in the present review, the quantification of the impact of the duty on the cost and price of the downstream product prescribed under Part-IV of the Economic Interest Questionnaire has not been furnished by MRF, and ATMA has stated that the member-level information regarding the impact of the duty on production, capacity utilisation, employment, profitability and downstream prices is not available with it. In the absence of any new facts, evidence or circumstances placed on record and the investigation being anti-absorption review, the Authority finds no basis warranting a re-examination of the findings recorded in the original investigation in this regard.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

71. The disclosure statement containing the essential facts under consideration was issued to the interested parties on 14 September 2026. The time for comments was extended, on the request of the Automotive Tyre Manufacturers'

Association (ATMA), up to 5 pm on 17 September 2026. Comments have been received from the applicant, OCCL Limited, and from ATMA. No comments have been received from any producer or exporter in the subject country. The Authority has examined the post disclosure comments to the extent considered relevant. Submissions which reiterate earlier submissions already examined in these final findings have not been repeated for the sake of brevity.

K.1 Submissions of the domestic industry

72. The domestic industry has requested the Authority to confirm in the final findings the observations recorded in the disclosure statement on the product under consideration, standing, the scope of the review, the oral hearing, absorption, the reassessment of normal value, export price, dumping margin and injury margin, and the impact on users.
73. The domestic industry has submitted that the modified duty should apply from the date of initiation, 20 March 2026, and not from 3 July 2026, since Rule 31(1) expressly permits retrospective application from the date of initiation and the gap between initiation and the notification of provisional assessment cannot by itself justify leaving that period unaddressed. Reliance has been placed on the new shipper review concerning lead acid batteries from China PR (2002), in which duty was recommended from the date of initiation although provisional assessment was notified later.

K.2 Submissions of the other interested parties

74. ATMA has made the following submissions:
 - a. The time allowed for comments on the disclosure statement was inadequate and contrary to natural justice and Article 6.2 of the Anti-Dumping Agreement, and the Authority ought to have availed of the extension permitted under the proviso to Rule 30(7). Reliance has been placed on *Nirma Ltd. v. Union of India* (Gujarat High Court, 2017) and *Mahindra & Mahindra v. Union of India* (Delhi High Court, W.P. 3022/2014).
 - b. The disclosure statement records conclusive findings of absorption, contrary to Rule 16.
 - c. The non-confidential version of the methodology for determination of the non-injurious price has not been provided.
 - d. The finding that MRF Limited's import prices declined is contrary to Annexure 3 to MRF Limited's questionnaire response, which shows an increase of 25 per cent in export prices, and the Authority must disclose the transaction-wise DG Systems data relating to MRF Limited's own imports.
 - e. Reliance on Article 11.2 of the Anti-Dumping Agreement is misplaced; alternatively, Article 11.2 requires an examination of injury and causation. Rule 30(6), to the extent it dispenses with such examination, is ultra vires Section 9A(1B), the Anti-Dumping Agreement and the Constitution, and the Authority should address this submission.
 - f. The conversion of the oral hearing to hybrid mode at short notice, when the conference hall was not available and the Authority itself attended virtually, denied a fair opportunity of hearing.
 - g. The raw material and utility cost data was furnished only in the domestic industry's rejoinder; it reflects the domestic industry's costs and cannot be attributed to producers in the subject country, who have different sourcing bases, economies of scale, and the benefit of appreciation of the Chinese Yuan against a depreciating Rupee. The ICIS sulphur price data relied upon was not shared. The disclosure statement compares exchange rates across the two periods, whereas the submission concerned appreciation of the Yuan during the absorption period.
 - h. Normal value could not be determined on the basis of the import price from Malaysia; in the absence of exporter response it must be constructed on the basis of cost of production in accordance with the Manual of Operating Practices, and an import price adjusted to the ex-factory level cannot serve as normal value.
 - i. The non-injurious price moved only marginally between the two periods, which is inconsistent with the claimed increase of about 15 per cent in the domestic industry's cost of production.
 - j. The modified duty should apply prospectively, since the power under Rule 31(1) is discretionary and must be exercised sparingly for cogent reasons; in the alternative, it should not apply before 3 July 2026, the date from which provisional assessment was in force.

K.3 Examination by the Authority

75. The Authority notes that neither the Act nor the AD Rules prescribe a minimum period for comments on a disclosure statement, and that the adequacy of the time allowed is to be assessed on the facts of each case. The review was required to be concluded within six months of initiation under Rule 30(7), and the power to extend that period under the proviso, in special circumstances, rests with the Central Government. The time for comments was fixed with regard to the statutory period and was extended on ATMA's request. The present proceeding is a review of limited scope with few participating parties. The disclosure statement relies on no information that was not on record at the stage of rejoinder, every issue in ATMA's comments other than those at (h) and (i) above was raised in its earlier submissions and examined in the disclosure statement, and ATMA has filed detailed comments on every section of the disclosure statement within the time allowed, which the Authority has considered on merit. The Authority does not find that any interested party has been denied a full opportunity for the defence of its interests.
76. Rule 16 requires the Authority to disclose the essential facts under consideration which form the basis of its decision. The disclosure statement recorded that it contained the essential facts which would form the basis of the final findings and that all replies would be considered on merit. A disclosure that did not indicate what the Authority proposes to conclude from the essential facts may not enable meaningful comment. The conclusions in these final findings have been arrived at after examination of the comments received.
77. The non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III on the basis of the cost data of the domestic industry, which is on record on a confidential basis, and the detailed workings have been disclosed to the domestic industry. The methodology was stated in the non-confidential text of the disclosure statement itself, which recorded that the non-injurious price of the original investigation had been adjusted for appropriate changes in accordance with Annexure III, and is restated here: the non-injurious price determined in the original investigation has been adjusted for the change in the cost elements, namely the cost of raw materials and utilities, between the period of investigation of the original investigation and the absorption period, retaining the best utilisation norms and other parameters adopted in the original investigation, in accordance with the principles of Annexure III. The interested parties have had the opportunity to comment on this methodology.
78. As regards the import prices of MRF Limited, the Authority notes that Annexure 3 to MRF Limited's questionnaire response contains transaction-wise purchases for the absorption period only prepared, as clarified by MRF Limited in response to the Authority's letter dated 31 July 2026, on the basis of the goods receipt note date. It contains no data for the original period of investigation, and neither the written submissions, the rejoinder nor the post disclosure comments state the base period, base price or computation from which the increase of 25 per cent is derived. Annexure 5 to the same response, giving MRF Limited's average import price from all sources for 2022-23, 2023-24 and the period of investigation, shows no increase. The claim is therefore not supported by any evidence on record.
79. The Authority has compared the transactions reported in Annexure 3 with the DG Systems data. The weighted average import price from the two sources is the same. That price is significantly lower than MRF Limited's weighted average import price from the subject country in the period of investigation of the original investigation as per the DG Systems data, as shown below. The decline in MRF Limited's import prices is thus established by its own certified data.

Import price of MRF Limited from the subject country	UOM	Original period (January to December 2023)	Absorption period (July to December 2025)
Weighted average assessable (CIF) value of bills of entry of MRF Limited, as per DG Systems data	Rs/MT	***	***
Trend	Indexed	100	76
Exchange rate INR to USD	Rs/\$	***	***
The above converted at the exchange rate adopted for the respective period	USD/MT	***	***

Trend	Indexed	100	72
Weighted average CIF invoice value as per Annexure 3 to the questionnaire response of MRF Limited	USD/MT	-	***
Trend with reference to the original period as per DG Systems data	Indexed	100	72

80. As regards the request for disclosure of the DG Systems data, the Authority notes that the transactions of MRF Limited in the absorption period are those reported by MRF Limited itself, that the transactions in the original period are MRF Limited's own imports, the details of which are in its own records, and that the basis of the comparison has been disclosed above. MRF Limited has not placed its own import data for the original period on record. The Authority further notes that its determination of absorption rests on the average export price from the subject country to India for all imports, as recorded above, and not on the import prices of MRF Limited, which were examined only in response to the contention raised by ATMA.
81. The scope of the review is governed by Section 9A(1B) of the Act and Rules 29 to 31, and the examination in these final findings rests on those provisions. The reference to Article 11.2 of the Anti-Dumping Agreement was in the context of ATMA's own earlier submission that reviews under Article 11.2 require a comprehensive analysis; ATMA now submits that Article 11.2 has no application. In either event the scope of the review is that prescribed by Rule 30(6), for the reasons recorded above. The validity of the Rules framed under the Act is not a matter before the authority;
82. As regards the oral hearing, the Authority notes that the hearing was notified on 29 July 2026 in virtual mode, that ATMA sought a hybrid hearing on 1 August 2026, that the parties were informed on 4 August 2026 that the hearing could also be attended in person, and that the hearing was held as scheduled with all parties, including the domestic industry, participating virtually. ATMA presented its case and thereafter filed written submissions and a rejoinder, and has not identified any submission it was prevented from making. The Rules do not prescribe the mode of hearing, and under Rule 6(7) oral submissions are considered only when reproduced in writing. No denial of an effective opportunity of hearing is made out.
83. As regards the cost data, the Authority notes that the non-confidential application contained the indexed trend of raw material and utility cost between the two periods, which ATMA addressed in its written submissions. The figures adopted are those examined by the Authority. The ICIS sulphur price data was filed as non-confidential Exhibits 3 and 4 to the domestic industry's rejoinder and was available to the interested parties. On the Chinese Yuan, the question under Section 9A(1B) is whether the export price decreased without a commensurate change in the cost of production as between the original period of investigation and the absorption period, and the relevant comparison of exchange rates is therefore between the two periods, over which the Yuan did not appreciate against the US Dollar. The decline in export prices has been established in US Dollar terms and the increase in the cost of raw materials and utilities taken together has been shown in US Dollar as well as Rupee terms, so that neither is affected by the depreciation of the Rupee. The statement in the domestic industry's earnings call relied upon by ATMA confirms the increase in the domestic industry's costs. The remaining submissions on sourcing and economies of scale have been examined above.
84. As regards normal value, the Authority notes that in the original investigation normal value for the subject country was determined under paragraph 7 of Annexure I on the basis of the export price of the product from Malaysia to India, and that ATMA in its written submissions in the present review asked that the same methodology be applied consistently and on contemporaneous data. The Authority has done so. Paragraph 7 of Annexure I permits normal value for a non-market economy to be determined on the basis of the price from a market economy third country to other countries including India, and there is no requirement that normal value be constructed on cost of production whenever the exporters do not cooperate; the Manual describes the manner of construction where that basis is adopted. The adjustment of the Malaysian price from CIF to ex-factory level is required for a fair comparison with the export price at the same level of trade and does not convert it into a constructed value. The submission is rejected.

85. As regards the marginal movement of the non-injurious price, the Authority notes that in the current anti-absorption investigation, only RM cost and utility cost is re-determined based on rates prevailing during absorption period, the remainder being conversion cost, selling, general and administrative expenses and return on capital employed, have been retained at the level of the original investigation. The NIP in the original investigation and redetermined NIP in the anti-absorption is expressed in exchange rate prevailing in the respective period. The rupee has been depreciated against dollar in the absorption period as compared to the original POI, thereby, the impact on NIP in dollar terms has been reduced. Thus, even if in the rupee terms, the cost of production has increased in the absorption period, when compared in dollar terms, the impact is reduced. Therefore, the movement in the non-injurious price is thus fully consistent with the increase in the cost of raw materials and utilities relied upon in the examination of absorption, and does not indicate that the latter is overstated.
86. As regards the date of application of the modified duty, the Authority notes that the reasons for proposing application from 3 July 2026 were recorded in the disclosure statement. The Authority recommends that the modified duty apply from 3 July 2026. The new shipper review relied upon by the domestic industry was governed by the rule applicable to such reviews, which itself provides for levy from the date of initiation, and does not govern the exercise of discretion under Rule 31.
87. The submissions of the domestic industry requesting confirmation of the observations in the disclosure statement have been examined in the respective sections of these final findings, and the conclusions recorded there are confirmed.

L. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

88. Having examined the submissions of the interested parties and the facts on record, the Authority concludes as follows:
- The product under consideration is Insoluble Sulphur, as defined in the original investigation, originating in or exported from China PR. The scope of the product under consideration in the present review is the same as in the original investigation.
 - The application for the anti-absorption review was filed by OCCL Limited, the sole producer of the product under consideration in India, within the time prescribed under Rule 29(3), and was duly substantiated.
 - The scope of an anti-absorption review under Section 9A(1B) of the Act read with Rules 29 to 31 is confined to examining whether the anti-dumping duty in force has been absorbed and to reassessing the dumping margin and the injury margin. A fresh determination of injury and causal link is not required under Rule 30(6).
 - The export price of the product under consideration from the subject country to India declined significantly in the absorption period as compared to the period of investigation of the original investigation, in both Rupee and US Dollar terms, and the decline exceeds the quantum of the anti-dumping duty in force.
 - The cost of production of the product under consideration did not decline in the absorption period; the cost of raw materials increased significantly and the cost of raw materials and utilities taken together increased in both Rupee and US Dollar terms, and the information on record shows that producers in the subject country were exposed to the same increase in sulphur prices.
 - The domestic industry was unable to increase its selling prices commensurately with the increase in its costs despite the imposition of the anti-dumping duty.
 - The anti-dumping duty in force has accordingly been absorbed within the meaning of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29 of the AD Rules and has been rendered ineffective to the extent of such absorption.
 - The dumping margin and the injury margin reassessed for the absorption period are significantly higher than those determined in the original investigation.
 - The Authority finds no procedural infirmity in the conduct of the review. The interested parties were given adequate opportunity to present their case through questionnaire responses, the oral hearing, written submissions, rejoinders and comments on the disclosure statement, and no prejudice or denial of an effective opportunity has been shown.
89. The Authority notes that the review was initiated and notified to all interested parties and that adequate opportunity was given to the domestic industry, the producers and exporters in the subject country, the importers and users

and the other interested parties to provide information and to present their views. No producer or exporter from the subject country has participated in the review.

90. Having regard to the determination that the anti-dumping duty in force has been absorbed, the Authority, in terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 31 of the AD Rules, recommends modification of the quantum of the anti-dumping duty imposed on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6 June 2025. The form of the duty, namely a fixed amount in US Dollars per MT, remains unchanged and only the quantum is modified. Having regard to the lesser duty rule, the modified anti-dumping duty is recommended as equal to the lesser of the reassessed dumping margin and the reassessed injury margin, being the amount mentioned in column 7 of the duty table below. The modified duty shall be applicable, in place of the duty presently in force on imports from China PR, for the remaining period of the anti-dumping duty imposed vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6 June 2025, unless revoked, superseded or amended earlier.

91. The Authority further recommends, in terms of Rule 31(1) read with Rule 31(3) of the AD Rules and for the reasons recorded above, that the modified anti-dumping duty apply retrospectively with effect from 3 July 2026, the date from which imports of the product under consideration have been subjected to provisional assessment under Rule 30(5) of the AD Rules vide Notification No. 13/2026-Customs (ADD), and that the provisional assessments of imports made on or after that date be finalised accordingly. The anti-dumping duty imposed on imports of the product under consideration originating in or exported from Japan vide Notification No. 13/2025-Customs (ADD) dated 6 June 2025 is not affected by the present review.

Duty Table

S. No.	Sub-heading or Tariff Item*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3812 39 30, 2802 00 10, 3824 99 00	Insoluble Sulphur	China PR	Any country including China PR	Any	485	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China PR and Japan	China PR	Any	485	MT	USD

*The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

M. FURTHER PROCEDURE

92. An appeal against the order of the Central Government arising out of these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

AMITABH KUMAR, Designated Authority